राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992

(संशोधित नियम)

(संशोधित 06.06.2016 तक)

आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग,
सी–स्कीम, जयपुर–302005

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय सूची

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 (हिन्दी अनुवाद)	1—50
(i)	सामान्य	1
(ii)	सेवा का गठन एवं पदों की संख्या	3
(iii)	भर्ती	4
(iv)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये रिक्तियों का आरक्षण (सं.7)	6
(v)	राष्ट्रीयता (सं.8)	7
(vi)	रिक्तियों का अवधारण (सं.10)	8
(vii)	आयु (सं.11)	8
(viii)	शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता (सं.12)	10
(ix)	चरित्र (सं.13)	10
(x)	शारीरिक योग्यता (सं.14)	11
(xi)	सीधी भर्ती की प्रक्रिया (सं.17)	12
(xii)	पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया (सं.30)	21
(xiii)	नियुक्तियॉं, पदोन्नति और स्थायीकरण (सं.32)	27
(xiv)	वेतन (सं.39)	33
2	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 से सम्बंधित जारी अधिसूचनाएं (हिन्दी अनुवाद)	51—96

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(राजस्थान राजपत्र में प्रथम बार प्रकाशित दिनांक 5 जनवरी, 1993)

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

कार्मिक विभाग (क–।।)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 5, 1992

जी.एस.आर. 41:– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों को विनियमित करने हेतु, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992

भाग–1 सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 है।
   (ii) ये राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत होंगे।
2. **परिभाषाएं.**– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में:–
   (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्य सेवा या पद के संबंध में सरकार अभिप्रेत है और अधीनस्थ सेवा या पद के संबंध में आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार[1] अभिप्रेत है;
   (ख) "आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
   (ग) "समिति" से नियम 29 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
   (घ) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग IV में विहित प्रक्रिया के अनुरूप की गई भर्ती अभिप्रेत है;
   (ड) "आयुक्त" से आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।[2]

---

[1] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में नियम 2 के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "निदेशक, कम्प्यूटर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार" प्रतिस्थापित की गयी है।

[2] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के नियम 2 के खण्ड (ड) के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति
(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(च) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन सेवा में के किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर रखा गया व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ज) "सेवा" से राजस्थान कम्प्यूटर राज्य सेवा और राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा, यथास्थिति, अभिप्रेत है;

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(त्र) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ट) "अधिष्ठायी नियुक्ति" से इन नियमों के अधीन भर्ती की किसी भी विहित रीति से सम्यक् चयन किया जाकर किसी अधीष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों की अधीन की गई नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में की गई ऐसी नियुक्ति भी आती है जिस पर परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति के पश्चात स्थायीकरण किया जाना हो;

टिप्पणी :– इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के अर्न्तगत, अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति को छोडकर, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गई या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई भर्ती भी सम्मिलित होगी

(ठ) 'सेवा" या "अनुभव" जहां कहीं भी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद को धारण करने वाले व्यक्ति की एक सेवा से दूसरी सेवा में अथवा सेवा में के एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में इन नियमों में विहित हो तो इसमें वह कालावधि सम्मिलित होगी जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे पदों पर निरन्तर कार्य किया हो;

टिप्पणी :– सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थितियाँ भी उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन "ड्यूटी" के रूप में मानी गयी है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जाएगी।

(ड) ''वर्ष'' से अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. **निर्वचन.**– जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. VIII) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग–II संवर्ग

4. **सेवा की संरचना एवं उसमें पदों की संख्या.**– (1) सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में सम्मिलित पदों की प्रकृति इन नियमों की अनुसूची I और II के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्टानुसार होगी।

(2) सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए, परन्तु यह कि सरकारः–

(क) आवश्यक प्रतीत होने पर, कोई भी स्थायी या अस्थायी पद समय–समय पर सृजित कर सकेगी और उसी रीति से ऐसे किसी पद को किसी व्यक्ति को कोई प्रतिकर पाने का हकदार बनाये बिना समाप्त कर सकेगी, और

(ख) किसी स्थायी या अस्थायी पद को किसी व्यक्ति को प्रतिकर पाने का हकदार बनाये बिना समय–समय पर खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

5. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित होंगेः–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को अनुसूची I और II में विनिर्दिष्ट पद/पदों को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति;

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व सेवा में सम्मिलित पद/पदों पर भर्ती किए गये समस्त व्यक्ति; और

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(ग) नियम 33 के अधीन अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति को छोड़कर इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए समस्त व्यक्ति।

भाग–III भर्ती

6. **भर्ती की रितियाँ**.– (1) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में के पदों पर भर्ती अनुसूची I और II के स्तम्भ 3 और 4 में उपदर्शित अनुपात में निम्नलिखित रीतियों से की जाएगीः–

(क) इन नियमों के भाग IV में विहित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा; और

(ख) इन नियमों के भाग V में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा,

परन्तु यह कि–

(i) यदि आयोग से परामर्श करके, जहाँ परामर्श करना आवश्यक हो, नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि किसी वर्ष विशेष में भर्ती की किसी एक रीति से नियुक्ति की जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो नियुक्ति, विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, दूसरी रीति से उसी प्रकार की जा सकेगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट हैं;

(ii) नियम 5 के अधीन न आने वाले व्यक्ति, जो अनुसूची I और II में सम्मिलित किए गए पदों पर तदर्थ या स्थानापन्न या अर्जेन्ट अस्थाई आधार पर नियुक्त किए गए हों और जो इन नियमों के प्रारम्भ की तिथि को कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर रूप से ऐसे पदों को धारण किए हुए हों, उनके द्वारा धारित पदों पर उनकी उपयुक्तता विनिर्णीत की जाने के लिए नियम 29 में निर्दिष्ट समिति द्वारा स्क्रीन किए जाऐंगे बशर्ते कि वे सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए नियमों में विहित की गई अपेक्षित अर्हताएं रखते हों या वे अपेक्षित अर्हताएं रखते हो जिनके आधार पर ऐसे व्यक्तियों का तदर्थ/स्थानापन्न/अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति के लिए चयन किया गया था। यह उपबन्ध निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा, अर्थात्:–

(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति उस पद, जिस पर वह प्रारम्भतः नियुक्त किया गया था, से उच्चतर किसी

सत्यापित प्रति

(राम [signature] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

पद पर स्क्रीनिंग किए जाने का हकदार नहीं होगा यदि निचले पद पर उससे वरिष्ठ कोई व्यक्ति जो पद की विहित अर्हताएं पूरी करता था, उसे यातो ऐसी तदर्थ नियुक्ति नहीं दी गई या वह इस नियम के अधीन स्क्रीनिंग किए जाने का हकदार नहीं था। इस प्रयोजन के लिए वरिष्ठता किसी पद पर की निरन्तर सेवा अवधि के अनुसार अवधारित की जाएगी;

(ख) स्क्रीनिंग के द्वारा उपयुक्तता विनिर्णीत करने वाली इन नियमों के अधीननियुक्त समिति, चाहे ऐसी स्क्रीनिंग भर्ती की साधारण रीतियों के अपवादस्वरूप हो अथवा सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गई हो, किसी भी कर्मचारी की बाबत, जिसने उस पद पर जिसके लिए उसका स्क्रीनिंग किया जाना है, तीन वर्ष से अधिक काम कर लिया हो परन्तु जिसके लिए उसे उपयुक्त विनिर्णीत न किया जाय और इसके बाद उसे निम्नतर पद पर भी नियुक्त होने का अधिकार न हो, अनुग्रह के रूप में यह सिफारिश कर सकेगी कि उसे ऐसे निम्नतर पद पर आमेलन द्वारा नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव कर दिया जाये। ऐसा होने पर ऐसा कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम, 1969 के उपबन्धों के अधीन अधिशेष कर्मचारी माना जाएगा और उसे, समिति की सिफारिश पर ऐसी शर्तो के अध्यधीन, जो उसके द्वारा अधिकथित की जांय, निम्नतर पद पर आमेलित किया जा सकेगा।

टिप्पणी:– नियम 6 के परन्तुक (ii) के अधीन की स्क्रीनिंग का उपबन्ध प्रथम उपाय के रूप में आशयित है तथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के कोटा का ध्यान रखे बिना स्क्रीन किये गये व्यक्तियों के लिए अपेक्षित रिक्तियाँ भरी जाने के पश्चात् ही, सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटा लागू किया जायेगा।

(2) इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी आपातकाल के दौरान थल सेना/वायुसेना/नौसेना में पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति की भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों से विनियमित होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें परन्तु इनको भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों

सत्यापित प्रति
(राम [signature] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित विनियमित किया जाएगा।

7. **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.–**

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार के ऐसे आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत्त हों चाहे भर्ती सीधी हो या पदोन्नति द्वारा।

(2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियाँ वरिष्ठता एवं योग्यता तथा योग्यता के आधार पर भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियों को भरने के लिए उन पात्र अभ्यार्थियों के सम्बन्ध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में उनका रैंक कौनसा है इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिये विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिये आयोग के क्षेत्र में आने वाले पदों के लिए आयोग द्वारा और अन्य मामलों में नियुक्ति प्राधकारी द्वारा और पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के मामले में, यथास्थिति, विभागीय पदोन्नति समिति या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4) नियुक्तियाँ सर्वथा सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये विहित अलग अलग रोस्टरों के अनुसार की जायेगी। यदि किसी वर्ष विशेष में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो उनके लिये इस प्रकार आरक्षित की गई रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर लिया जायेगा तथा पश्चातवर्ती वर्ष में उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित की जायेंगी। ऐसी बिना भरी गई रिक्तियों को भर्ती के पश्चातवर्ती कुल तीन भर्ती वर्षो तक अग्रनीत किया जायेगा और इसके पश्चात् ऐसा आरक्षण समाप्त हो जायेगा। परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पदों या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/ग्रुप की रिक्तियों को जिन पर इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नतियां की जाती है, अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

सत्यापित प्रति

(राम [signature] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

8. **राष्ट्रीयता.**– सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वहः

(क) भारत का "**नागरिक**"[3] हो या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारतीय उद्भव का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, "**म्यांमार**"[4], श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका के देश केनिया, युगाण्डा तथा तनजानिया गणतंत्र (पूर्वतः टांगानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी और इथियोपिया से आया होः

परन्तु (ख)(ग)(घ) और (ङ) प्रवर्गो का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है, आयोग या अन्य किसी भर्ती "**प्राधिकारी**"[5] द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यधीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।

9. **अन्य देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.**– इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबन्धी उपबन्ध, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जांय और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को

---

[3] कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र क्रमांक प.5(2)कार्मिक/क–2/91 पार्ट दिनांक 17.12.2015 के नियम 8 क्लॉज (क) के क्रम में शुद्ध किया गया है।

[4] कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र क्रमांक प.5(2)कार्मिक/क–2/91 पार्ट दिनांक 17.12.2015 के नियम 8 क्लॉज (ड़) के क्रम में शुद्ध किया गया है।

[5] कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र क्रमांक प.5(2)कार्मिक/क–2/91 पार्ट दिनांक 17.12.2015 के नियम 8 क्लॉज (ड़) में नीचे आये पैरे की चौथी पंक्ति के क्रम में शुद्ध किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

10. **रिक्तियों का अवधारण.**– (1) (क) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी, प्रतिवर्ष पहली अप्रेल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(ख) जहाँ कोई पद अनुसूची या नियम में विहित किसी रीति से भरा जाना हो तो इस प्रकार अवधारित रिक्तियाँ उसी रीति से भरी जाएंगी।

(ग) जहाँ कोई पद अनुसूची या नियमों में यथाविहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहाँ उपरोक्त खण्ड (क) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पूर्व में भरे गए पदों की सम्पूर्ण संख्या के लिए विहित अनुपात को संधारित करते हुए ऐसी प्रत्येक रीति के लिए किया जाएगा। यदि उपरोक्त विहित तरीके से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग रह जाए तो इसे, पदोन्नति कोटे को अधिमानता देते हुए निरन्तर चक्रीय क्रम के लिए विहित विभिन्न रीतियों के कोटे में प्रभाजित किया जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पिछले वर्षो की रिक्तियों को भी जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना था, वर्षवार अवधारित करेगा, बशर्ते कि ऐसी रिक्तियाँ पहले अवधारित न की गई हों और उस वर्ष में जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गई हों।

11. **आयु.**[6] – निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती के किसी अभ्यर्थी को आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात् आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को –

(i) एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)[7] के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ और 37 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त किया हुआ होना चाहिए ;

---

[6] कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 10.01.2013 के नियम 11 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

[7] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के नियम 11 के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर" के स्थान पर "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)" प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम [signature] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(ii) प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ और 35 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त किया हुआ होना चाहिए :

परन्तु यह कि:

(i) महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी;

(ii) उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि मे पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका या और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iii) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था;

(iv) एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामलों में, उपर्युक्त अधिकतम आयु–सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा;

(v) राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी तौर से सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जेण्ट अस्थाई नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी;

(vi) विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः–

यह कि विधवा को अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी का प्रस्तुत करना होगा और विवाह विच्छिन्न महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(vii) रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

12. **शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं एवं अनुभव.–** अनुसूची । और ।। में प्रगणित पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:–

(i) इन नियमों की अनुसूची के स्तम्भ 5 में बतलाई गई अर्हताएं और अनुभव; और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

13. **चरित्र.–** सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसको उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए तथा साथ ही ऐसे ही दो प्रमाणपत्र जो उसके द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की तारीख से छः माह से अधिक पूर्व में लिखे हुए न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबधित न हो और न उसके रिश्तेदार हों।

टिप्पणी :– (1) न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि मात्र को सच्चरित्रता प्रमाणपत्र न दिये जाने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अर्न्तग्रस्त नहीं है या उनका संबंध अपराधों या हिंसा या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो, तो केवल दोषसिद्धि को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिये।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारावास में अपने अनुशासित जीवन से और बाद के सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजनार्थ इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता की कोई बात अन्तर्गस्त नही है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा यदि वे पश्चातवर्ती देखरेखगृह के अधीक्षक की या किसी जिला विशेष में यदि ऐसे पश्चातवर्ती

सत्यापित प्रति

(राम कृष्ण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

देखरेखगृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से जिन्हे ऐसे अपराधों के लिये जिनमें नैतिक अधमता अर्न्तग्रस्त है, पश्चातवर्ती देखरेख के अधीक्षक का, या जहाँ ऐसे पश्चातवर्ती देखरेख नही है उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चातवर्ती देखरेख गृह में अपने बाद के सदाचरण से यह साबित कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये है अतः वे नियोजन के लिये उपयुक्त हैं।

14. **शारीरिक योग्यता.**– सेवा में सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक या शारीरिक नुक्स नही होना चाहिए जो उसके सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाय तो उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पहले से ही सेवारत है और पूर्व नियुक्ति के समय उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही की जा चुकी है और उसके द्वारा धारित दोनों पदो के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से एक समान है और आयु के कारण उसकी तत्प्रयोजनार्थ कार्यदक्षता में कोई कमी नहीं आयी है।

15. **अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.**– ऐसा अभ्यर्थी जो आयोग/नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा बनावटी दस्तावेज जिनमें गडबड की गई है, प्रस्तुत करने का या ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने का जो सही नही है या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार मे नावाज़िब साधनों का प्रयोग करने का या उनके प्रयोग करने का प्रयास करने का या परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित्त किसी अनियिमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी घोषित किया जाता है या किया जा चुका है तो फौजदारी मुकदमा चलाये जाने के दायित्वाधीन रहने के अतिरिक्त उसेः

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(क) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन के लिये सरकार द्वारा, स्थायी तौर पर या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये विवर्जित किया जा सकेगा।

16. **संयाचना.**– सीधी भर्ती के लिये नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नही किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिये निरर्हित कर सकेगा।

भाग–IV सीधी भर्ती की प्रक्रिया

17. **प्रतियोगी परीक्षा के संचालन के लिए प्राधिकारी.**– (1) अनुसूची–I में उल्लिखित पदों और आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले अनुसूची– II में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के अनुसार आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा **होगी**[8]।

(2) उपर्युक्त उप–नियम (1) में उल्लिखित से भिन्न अनुसूची– II में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होगी।"[9][10][11]

18. **"परीक्षा का पाठ्य विवरण.**– एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), प्रोग्रामर और सूचना सहायक के पदों पर सीधी भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण क्रमशः अनुसूची III, IV और V में यथाविनिर्दिष्टानुसार होगा।"[12]

19. **आवेदन आमंत्रित करना.**– सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विनिर्दिष्ट पदों के लिये सरकार/विभाग से अध्यपेक्षा प्राप्त हाने के उपरान्त,

---

[8] नियम 17 के उप नियम (1) की चौथी पंक्ति में आई अभिव्यक्ति **होगी।"** के स्थान पर अभिव्यक्ति **होगी**। कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–।।/91 दिनांक 26.09.2011 के क्रम में शुद्ध किया गया है।

[9] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–।।/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

[10] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–।। /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

[11] नियम 17 के उप नियम (2) की तीसरी पंक्ति में आई अभिव्यक्ति **होगी**। के स्थान पर अभिव्यक्ति **होगी।"** कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–।।/91 दिनांक 26.09.2011 के क्रम में शुद्ध किया गया है।

[12] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के नियम 18 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

"आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [13] [14] परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा हेतु राजपत्र में नोटिस प्रकाशित करवाकर या अन्य किसी रीति से जिसे कि "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [15] [16] उपयुक्त समझे, आवेदन आमंत्रित करेगा।

20. **नोटिस की विषयवस्तु तथा उससे संबंधित अनुदेश.**– (1) इन नियमों के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, उक्त नोटिस में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बातें भी होगीः–

(i) प्रत्येक परीक्षा का परिणाम आ जाने पर विभिन्न सेवाओं में भरे जाने वाले पदो की संख्या, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित किये गये पदों की संख्या को अलग से दर्शाया जायेगा;

(ii) परीक्षा में प्रवेश हेतु किये जाने वाले आवेदनों को प्रस्तुत करने की तारीख;

(iii) परीक्षा में प्रवेश बैठने हेतु अपेक्षित अर्हताऐं तथा अपनी पात्रता स्थापित करने के लिये अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही; और

(iv) परीक्षा की तारीख व स्थान।

(2) नोटिस के अलावा, "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [17] [18] अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु ऐसे अनुदेश जिसमें पाठ्य विवरण भी

---

[13] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[14] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 19 में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[15] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[16] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 19 में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[17] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[18] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (2) में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

सम्मिलित होगा, ऐसी रीति से जिसे ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी,'' यथास्थिति,[19] [20] उपयुक्त समझे, जारी कर सकेगा।

21. **आवेदन का प्रारूप.–** आवेदन, ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,''[21] [22] द्वारा अनुमोदित प्ररूप में किया जायेगा जो ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,''[23] [24] के सचिव से या विभागाध्यक्ष के कार्यालय से ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो समय–समय पर ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,''[25] [26] द्वारा निश्चित की जाये का संदाय करने के उपरान्त प्राप्त किया जा सकेगा।

22. परीक्षा फीस.– (1) सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति''[27] [28] को ऐसी फीस का संदाय करेगा जो उनके द्वारा समय–समय पर निश्चित की जाये तथा ऐसी रीति से करेगा जो उनके द्वारा दर्शायी जाये।

(2) परीक्षा फीस के प्रत्यर्पण का कोई दावा स्वीकार नही किया जायेगा और ना फीस को किसी अन्य परीक्षा के आरक्षित रखा जायेगा सिवाय जबकि विज्ञापन, अध्यपेक्षा करने वाले प्राधिकारी

---

[19] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी'' या ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' आयी हो, उनके स्थान पर ''आयोग'' प्रतिस्थापित किया गया है।

[20] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (2) में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित किया गया है।

[21] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी'' या ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' आयी हो, उनके स्थान पर ''आयोग'' प्रतिस्थापित किया गया है।

[22] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 21 में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित किया गया है।

[23] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी'' या ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' आयी हो, उनके स्थान पर ''आयोग'' प्रतिस्थापित किया गया है।

[24] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 21 में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित किया गया है।

[25] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी'' या ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' आयी हो, उनके स्थान पर ''आयोग'' प्रतिस्थापित किया गया है।

[26] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 21 में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित किया गया है।

[27] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी'' या ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' आयी हो, उनके स्थान पर ''आयोग'' प्रतिस्थापित किया गया है।

[28] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 22 में उप–नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

द्वारा अध्यपेक्षा वापस लेने के कारण या अन्य किसी कारण से "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति" [29] [30] द्वारा निरस्त न कर दिया गया हो। इस स्थिति में राशि प्रत्यर्पित कर दी जायेगी। परन्तु "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [31] [32] द्वारा अभ्यर्थी को प्रत्यर्पण पत्र जारी किये जाने की तारीख से एक माह की कालावधि के पश्चात फीस के प्रत्यर्पण की बाबत कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23. **परीक्षा में प्रवेश.**– (1) आवेदन जो अपूर्ण पाए गए हो और जिन्हे, "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [33] [34] द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार नही भरा गया हो, प्रारंभिक चरण पर ही उनके द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेगे। "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति" [35] [36] शेष अभ्यर्थियों में से उन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा अनन्तिम रूप से दे सकेगा जिन्हे प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी करना वह उपयुक्त समझे। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में नही बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [37] [38] द्वारा उस परीक्षा में बैठने के लिए जारी किया गया प्रवेश प्रमाण पत्र न हो। परीक्षा में

---

[29] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[30] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 22 में उप–नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[31] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[32] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 22 में उप–नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[33] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[34] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 23 में उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[35] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[36] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 23 में उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[37] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[38] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 23 में उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

बैठने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वह आयु, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, आदि, यदि कोई हो, से संबंधित शर्त, जैसी कि नियमों में उपबंधित की गई हो, पूरी करता है। परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दे देने मात्र से ही अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा कर लेने का हक प्राप्त नही हो जाता। ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,''[39] [40] बाद में केवल उन अभ्यर्थियों के आवेदनो की संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लें और केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही मौखिक परीक्षा के लिए, यदि कोई हो, बुलाएगा।

(2) अभ्यर्थी का परीक्षा में प्रवेश, उसकी पात्रता तथा पारिणामिक रूप से मौखिक परीक्षा में प्रवेश की बाबत ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति'',[41] [42] [43] का निर्णय अंतिम होगा।

24. **''न्यूनतम अर्हक अंक**[44] [45] [46].– ऐसे अभ्यर्थियों को, जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत ''**अंक**''[47] प्राप्त करें, लिखित परीक्षा में अर्हक अंक अभिप्राप्त किया हुआ समझा जायेगा, किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक 36 प्रतिशत होंगे। आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्वविवेक से कुल मिलाकर तीन तक अनुग्रह अंक प्रदान कर सकेगा।''

---

[39] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–।।/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी'' या ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' आयी हो, उनके स्थान पर ''आयोग'' प्रतिस्थापित किया गया है।

[40] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–।। /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 23 में उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित किया गया है।

[41] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–।।/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी'' या ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' आयी हो, उनके स्थान पर ''आयोग'' प्रतिस्थापित किया गया है।

[42] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–।। /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 23 में उप–नियम (2) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित किया गया है।

[43] कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र क्रमांक प.5(2)कार्मिक/क–2/91 पार्ट दिनांक 06.06.2016 के नियम–23 के उप नियम–2 की दूसरी पंक्ति में शब्द ''प्राधिकारी'' एवं शब्द ''का'' के मध्य प्रयुक्त शब्द ''यथास्थति'' को शब्द ''यथास्थिति'' से शुद्ध किया गया है।

[44] कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 29.05.1997 के क्रम में नियम 24 के द्वितीय पैरे में अभिव्यक्ति ''साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकेगा'' और विराम चिन्ह के बीच अभिव्यक्ति, ''जैसा की अनुसूची III, IV, V और VI यथास्थिति, में निदिष्ठ है'' अंत स्थापित की जायेगी।

[45] कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में नियम 24 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

[46] कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 10.01.2013 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

[47] कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र क्रमांक प.5(2)कार्मिक/क–2/91 पार्ट दिनांक 17.12.2015 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

25. "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" की सिफारिशें [48] [49] .– (1) "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [50] [51] ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हे वह संबंधित पद/पदों पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त समझे, एक सूची योग्यता क्रम में तैयार करेगा तथा इसे सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, को अग्रेषित करेगा।

(2) "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [52] [53] उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम, विज्ञापित रिक्त पदों के 50% तक, आरक्षित सूची में रख सकेगा। आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति द्वारा सरकार को मूल सूची अग्रेषित की जाने की तारीख से 6 माह के भीतर अध्यपेक्षा करने पर वह ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश योग्यता कम में "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [54] [55] को कर सकेगा

26. अंको का पुनर्योग.– (1) "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [56] [57] ऐसी कालावधि के दौरान जो "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी,"

---

[48] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[49] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 25 में, विद्यमान पार्श्व शीर्ष "आयोग की सिफारिश" के स्थान पर पार्श्व शीर्ष "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें" प्रतिस्थापित किया गया है।

[50] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[51] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 25 में उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[52] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[53] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 25 में उप–नियम (2) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[54] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[55] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 25 में उप–नियम (2) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[56] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[57] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 26 में उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

यथास्थिति,'' [58] [59] द्वारा अपने स्वविवेक से विनिश्चित की जाए, ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर जो "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' [60] [61] द्वारा समय–समय पर नियत की जाए, किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको का योग फिर से करने का आदेश दे सकेगा किन्तु उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की जॉच फिर से नही की जाएगी।

(2) "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,''[62] [63] ऐसी गलतियों को दूर करने के लिए कदम उठा सकेगा जिनका पता उप नियम (i) के उपबन्धो के अनुसरण में फिर से योग किये जाने पर चले।

(3) इस सुधार के परिणाम स्वरूप यदि "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' [64] [65] को यह पता चले कि अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र हो गया है तो इस तथ्य की सूचना तुरन्त और किसी भी दशा में परिणाम घोषित हो जाने के 40 दिन से पूर्व सरकार को दे दी जाएगी और "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,''[66] [67] की सिफारिश जो नियम 25 के अन्तर्गत की गई हो, उस सीमा तक उपान्तरित समझी जायगी।

---

[58] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[59] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 26 में उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[60] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[61] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 26 में उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[62] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[63] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 26 में उप–नियम (2) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[64] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[65] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 26 में उप–नियम (3) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[66] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[67] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 26 में उप–नियम (3) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

27. **नियुक्ति के लिए निरर्हता.–** (1) कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा सिवाय उस दशा के जब राज्य सरकार अपना समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है किसी अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दे।

(2) कोई महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी है सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगी सिवाय उस दशा के जब राज्य सरकार अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दे।

(3) कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नही होगा/होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरणः– इस नियम के प्रयोजनार्थ दहेज का वही अर्थ होगा जो इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) मे दिया गया है।

28. **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.–** (1) नियम 20 के अधीन जारी किये गए नोटिस में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अध्यधीन रहते हुए और अनुसूची I और II में सम्मिलित पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में पदों के आरक्षण के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों का चयन करेगा जिनका स्थान "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [68] [69] द्वारा नियम 25 के अधीन तैयार की गई सूची में योग्यता क्रम में सबसे ऊंचा हो:

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, समाधान न हो जाए कि ऐसा अभ्यर्थी सम्बन्धित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सब प्रकार से उपयुक्त है।

---

[68] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–।।/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[69] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–।। /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 28 में उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

परन्तु यह और भी कि "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [70] [71] द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम अंतिम रूप से घोषित होने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूची I और II में विनिर्दिष्ट सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [72] [73] द्वारा नियम 25 के अधीन तैयार की गई सूची में से योग्यता के क्रम में अभ्यर्थियों का चयन अतिरिक्त रिक्तियों के प्रति रिक्तियों की उस संख्या के बराबर जो उन्होने "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," [74] [75] को सूचित की थी, कर सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो ऊपर उप नियम (1) के अधीन चयनित हो और संबंधित पद पर इन नियमों के अनुसार किसी वर्ष विशेष की रिक्तियों के प्रति, जिसके लिये इन नियमों के अनुसार "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी," यथास्थिति, [76] [77] द्वारा प्रतियोगी परीक्षा संचालित की गई थी, नियुक्त किया गया हो और यदि वह उसे दिए गए पद पर कार्य ग्रहण नहीं करता है या उसमें त्याग पत्र दे दिया है या किसी पश्चातवर्ती वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उक्त रिक्ति को नई रिक्ति के रूप में माना जाएगा।

---

[70] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[71] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 28 में उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[72] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[73] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 28 में उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[74] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[75] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 28 में उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

[76] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 23.05.2008 के क्रम में जहां कही भी अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हो, उनके स्थान पर "आयोग" प्रतिस्थापित किया गया है।

[77] कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II /91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों के नियम 28 में उप–नियम (2) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

भाग–V पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

29. समिति का गठन.– समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा–

(क) आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पदों के लियेः–

(i)	आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य	–	अध्यक्ष
(ii)	संबंधित प्रशासनिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव[78]	–	सदस्य
(iii)	कार्मिक विभाग (क–।।) का विशिष्ट शासन सचिव या उसका कोई प्रतिनिधि जो कार्मिक (क–।।) विभाग में उप शासन सचिव की रैंक से नीचे का न हो	–	सदस्य
(iv)	आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार[79]	–	सदस्य सचिव

(ख) आयोग के कार्यक्षेत्र में न आने वाले पदों के लिएः–

(i)	आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार[80]	–	अध्यक्ष
(ii)	कार्मिक विभाग का उपशासन सचिव	–	सदस्य
(iii)	संबंधित प्रशासनिक विभाग में प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य[81]	–	सदस्य
(iv)	तकनीकी निदेशक[82 83]	–	सदस्य सचिव

30. पदोन्नति के लिये पात्रता, कसौटी और प्रक्रिया.– (1) ज्योंही नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के नियम 10 के अधीन रिक्तियों की संख्या

---

78 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में अभिव्यक्ति "सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव" प्रतिस्थापित किया गया है।

79 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में अभिव्यक्ति "उप सचिव–कम–निदेशक, कम्प्यूटर्स" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और सचांर" प्रतिस्थापित किया गया है।

80 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में अभिव्यक्ति "उप सचिव–कम–निदेशक, कम्प्यूटर्स" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और सचांर" प्रतिस्थापित किया गया है।

81 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

82 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5(2)डीओपी/ए–।।/91 दिनांक 17.11.2009 के क्रम में नियम 29 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "सिस्टम एनालिस्ट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपर निदेशक" में प्रतिस्थापित की गई है।

83 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "अपर निदेशक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तकनीकी निदेशक" प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

अवधारित करे और यह विनिश्चित करे कि अमुक संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित है तो वह उप–नियम (6) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए वरिष्ठतम व्यक्तियों की, जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद–वर्ग में वरिष्ठता एवं योग्यता या योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये पात्र और अर्हित हैं, सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा।

(2) चयन वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अनुसूची I और II के स्तम्भ 7 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएँ और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए, स्तम्भ 6 में प्रगणित पदो के धारक व्यक्ति, स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किये गये पदों पर स्तम्भ 4 में उपदर्शित सीमा तक, पदोन्नति के पात्र होंगें।

(3) किसी व्यक्ति की सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नही किया जायेगा जब तक कि वह सेवा में के निम्नतम पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त तथा स्थायी न हो। सेवा में प्रथम पदोन्नति के पश्चात सेवा के उच्चतर पदों पर पश्चातवर्ती पदोन्नतियों के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो ऐसे पद पर, जिस पर से पदोन्नति होती है, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन के पश्चात् नियुक्त हुआ हो।

परन्तु यह कि यदि सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए निम्नतम पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त तथा स्थायी हुए व्यक्ति रिक्तियों की संख्या के बराबर उपलब्ध न हो तो ऐसे व्यक्ति भी, जो सेवा में के निम्नतम पद पर इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति के अनुसार चयन के पश्चात नियुक्त किये गये हों, पात्र होगें बशर्ते कि वे पात्रता की अन्य शर्ते पूरी करते हों ।

स्पष्टीकरणः– यदि किसी वर्ष विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती पदोन्नति द्वारा नियमित चयन से पूर्व कर ली गई हों तो ऐसे व्यक्तियों जो भर्ती की दोनों रीतियों से नियुक्त हेतु पात्र हैं या पात्र थे और जिन्हें प्रथमतः सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था, की बाबत भी पदोन्नति हेतु विचार किया जायेगा।

(4) पदोन्नति की नियमित पंक्ति में, सेवा में सम्मलित नही किये गये पद/पदों से सेवा के निम्नतम पद या पद प्रवर्ग पर पदोन्नति हेतु चयन योग्यता और वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर 50:50 के अनुपात में किया जायेगा।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

परन्तु यह कि यदि समिति का समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष विशेष में पूर्णतः योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो पदोन्नति हेतु चयन इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट रीति से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जा सकेगा।

(5) राज्य सेवा के निम्नतम पद या पदप्रवर्ग में से राज्य सेवा के अगले उच्चतर पद या पदप्रवर्ग में तथा अधीनस्थ सेवा के समस्त पदों पर पदोन्नति हेतु चयन सर्वथा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

परन्तु सेवा की अपेक्षित कालावधि के व्यक्ति उपलब्ध न होने कि स्थिति में समिति सेवा की विहित कालावधि को उन व्यक्तियों के मामले में शिथिल कर सकेगी जिन्हें पदोन्नति हेतु अन्यथा उपयुक्त पाया जाए।

स्पष्टीकरणः— यदि सेवा के पद प्रवर्ग में पदोन्नति हेतु उपलब्ध पद विषम संख्या में हों तो वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर 50:50 के अनुपात में पदोन्नति द्वारा चयन हेतु रिक्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित चक्रिय क्रम अपनाया जायेगाः

प्रथम रिक्ति : वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा;

पश्चातवर्ती रिक्ति : योग्यता द्वारा;

और यही चक्रिय क्रम चलता रहेगा।

(6) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या सीमा निम्न प्रकार होगीः

(i) रिक्तियों की संख्या	**विचार किये जाने के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या**
(क) एक रिक्ति होने पर	पाँच पात्र संख्या
(ख) दो रिक्तियाँ होने पर	आठ पात्र व्यक्ति
(ग) तीन रिक्तियाँ होने पर	दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियाँ होने पर	रिक्तियों की संख्या की तीन गुना

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(ii) जब उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु पात्र व्यक्तियों की संख्या उपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो तो इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, यथास्थिति, के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपर विनिर्दिष्ट संख्या–सीमा के भीतर उपलब्ध न हों तो विचार की संख्या–सीमा को रिक्तियों की संख्या के पाँच गुना तक बढाया जा सकेगा और इस प्रकार विस्तारित संख्या–सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, यथास्थिति, (अन्य कोई नही) के अभ्यर्थियों के बारे में भी, उनके लिए आरक्षित की गई रिक्तियों के प्रति विचार किया जायेगा।

(7) (क) समिति उन समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के बारे में विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबन्धित पदों के वर्ग में पदोन्नति हेतु पात्र और अर्ह हों और समिति उन व्यक्तियों के नामों की एक सूची इन नियमों में "रिक्तियों के अवधारण" सें सम्बन्धित नियम के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर तैयार करेगी जिन्हें इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति कसौटी के अनुसार वरिष्ठता एवं योग्यता तथा/या योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाया गया हो। वरिष्ठता एवं योग्यता तथा/या योग्यता, यथास्थिति, के आधार पर तैयार की गई सूची को पदो के प्रवर्ग, जिन पर से चयन किया गया हो, की वरिष्ठता के अनुसार कमबद्ध रूप में रखा जायेगा।

(ख) समिति इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता एवं योग्यता तथा / या योग्यता, यथास्थिति, के आधार पर एक पृथक सूची भी तैयार करेंगी जिसमें अस्थाई या स्थाई रिक्तियों, जो बाद में हुई हो, को भरने के लिए ऊपर (क) के अधीन तैयार की गई सूची में बतलाई गई चयनित व्यक्तियों की संख्या के बराबर नाम होंगें। वरिष्ठता एवं योग्यता तथा/या योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गई सूची को पद–प्रवर्ग, जिस पर से चयन किया गया हो, की वरिष्ठता के अनुसार क्रमबद्ध किया जायेगा। ऐसी सूची को उस विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पुनरीक्षित तथा संशोधित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चातवर्ती वर्ष में हो और यह कि ऐसी सूची अगले वर्ष के अन्तिम दिन तक या विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने तक, जो भी पहले हो, प्रवृत बनी रहेगी।

(ग) ऐसी सूचियाँ, सूचियों में सम्मिलित किये गये समस्त अभ्यर्थियो और उन अभ्यर्थियों जिनका चयन नही किया गया हो, यदि कोई

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

हो, के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन / वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तथा अन्य सेवाभिलेख के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी।

स्पष्टीकरण:– योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी भी व्यक्ति का चयन नही किया जा सकेगा जिसका उस वर्ष, जिसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो रही है, से पूर्ववर्ती 7 वर्षो में से कम से कम 5 वर्षो का अभिलेख '' उत्कृष्ट'' या '' बहुत अच्छा'' का न हो।

(8) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात् यदि किसी पूर्वतन वर्ष से संबधित ऐसी रिक्तियाँ, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है, नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन किसी पश्चातवर्ती वर्ष में अवधारित की जाये तो विभागीय पदोन्नति समिति उस वर्ष, जिस वर्ष में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष जिससे रिक्तियाँ संबंधित है, में पात्र होते और ऐसी पदोन्नतियाँ उस वर्ष विशेष, जिससे ऐसी रिक्तियाँ संबंधित हो, में लागू कसौटी और प्रकिया द्वारा शासित होगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये पदधारी की उस कालावधि के सेवा /अनुभव को जिसमें उसने उस पद का वास्तव में कार्य नही किया है जिस पर कि वह पदोन्नत किया गया है उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन उस वेतन पर पुनः निर्धारित किया जायेगा जो उसने अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त किया होता। लेकिन वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नही किया जायेगा।

(9) सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख पर स्पष्ट रूप से गोचर होने वाली कुछ गलतियों या त्रुटियों के कारण अथवा किसी तथ्यात्मक मूल के कारण जिसकी वजह से विभागीय पदोन्नति समिति का निर्णय सारतः प्रभावित होता हो अथवा अन्य किसी पर्याप्त कारण से, उदाहरण के लिए – वरिष्ठता में परिर्वतन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/अनुदेश या किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया जाना या उसकी प्रखरता को कम कर दिया जाना या उसे दिया गया दण्ड अपास्त करना या उसे कम कर देना, पहले हुई विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही का पुनरीक्षण किये जाने का आदेश दे सकेगा। पुनरीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाने से पूर्व

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

कार्मिक विभाग तथा आयोग (जब आयोग को सहबद्ध किया गया हो) की सहमति सदैव अभिप्राप्त की जायेगी।

(10) यदि आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो तो समिति द्वारा तैयार की गई सूचियाँ, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, की वैयक्तिक फाईलो तथा वार्षिक गोपनीय पंजियों सहित, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग को अग्रेषित की जायेगी।

(11) आयोग, समिति द्वारा तैयार की सूचियों पर नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ विचार करेगा और यदि उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझे तो उन सूचियों का अनुमोदन कर देगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों को यदि कोई हो, महत्व देते हुए नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरों सहित जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर देगा लेकिन जब नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार का अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियो में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(12) पूर्ववर्ती उप नियम (II) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियाँ उसी क्रम में की जायेगी जिस क्रम में उनके नाम सूचियों में रखे गये है, जब तक कि ऐसी सूचियाँ, यथास्थिति निःशेष न हो जाये या उन्हें पुनर्विलोकित एवं पुनरीक्षित न कर लिया जाये।

(13) सरकार, उन व्यक्तियों की पदोन्नतियों नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक विषयों को न्यायसंगत और उचित रीति से, अनन्तिम तौर पर, निपटाने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी, जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरूद्ध उस समय विभागीय कार्यवाही चल रही हो जब किसी ऐसे पद पर की गई पदोन्नतियों पर विचार हो रहा हो जिसके वे पात्र है या यदि वे निलम्बित न होते या उनके विरूद्ध ऐसी जाँच या कार्यवाही लम्बित न होती तो, पात्र हुए होते।

31. **पदोन्नति छोड देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निबन्धन.–** विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अगले उच्चतर पद पर

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

अर्जेन्ट अस्थाई या नियमित चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हो जाने पर यदि कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति को छोड देता है तो उसकी पदोन्नति द्वारा पुनः नियुक्ति (विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति या नियमित भर्ती दोनों ही के मामले में) की जाने की बाबत एक वर्ष की कालावधि के पश्चात ही विचार किया जायेगा।

भाग–VI नियुक्ति, परिवीक्षा और वरिष्ठता

32. **सेवा में नियुक्ति.–** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती या पदोन्नति, यथास्थिति, द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, अधिष्ठायी रिक्तियाँ होने पर नियम 25 के अधीन योग्यता के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों में से तथा इन नियमों के नियम 30 के अधीन चयनित व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा तथा इन नियमों के नियम 6 के परन्तुक (ii) के अधीन उपयुक्त माने गये व्यक्तियों में से, की "जायेगी"[84]।

33. **अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति.–** (1) सेवा में की कोई रिक्ति जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे अधिकारी की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो, स्थानापन्न रूप से नियुक्ति करके या जब सीधी भर्ती नियमों के अधीन उपबंधित हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति की, जो सेवा में सीधी भर्ती का पात्र हो, अस्थायी रूप से नियुक्ति करके, भरा जायेगा।

परन्तु यह कि–ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिये, जब ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्देशित किये बिना एक वर्ष से अधिक कालावधि तक चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इन्कार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।

परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सेवा के किसी मामले में सरकार के कार्मिक विभाग की तथा अधीनस्थ सेवा के संबंध में सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग की विशिष्ट अनुमति के बिना सेवा के किसी पद पर जिसके लिये भर्ती की उपर्युक्त दोनो रीतियां विहित हो, सीधी भर्ती के कोटा की कोई अस्थाई रिक्ति पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा उस सूरत के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती

---

[84] कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र क्रमांक प.5(2)कार्मिक/क–2/91 पार्ट दिनांक 17.12.2015 के नियम 32 के क्रम में शुद्ध किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम [signature] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

के लिये पात्र व्यक्तियों में से भरी जायं, तीन मास से अधिक कालावधि के लिये नहीं भरेगा।

(2) पदोन्नति के लिये पात्रता की अपेक्षांए पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में सरकार, उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिये अपेक्षित पात्रता की शर्त के बावजूद भी, वेतन तथा अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जो वह निर्देशित करे, अर्जेण्ट अस्थाई आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। ऐसी नियुक्तियां, जैसा कि उक्त उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित है, आयोग की सहमति के अध्यधीन होगी।

34. **वरिष्ठता.–** सेवा में के निम्नतम पद पर या सेवा में के प्रत्येक ग्रुप/अनुभाग में के निम्नतम पद प्रवर्गो, यथास्थिति, पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता उक्त पदों पर ऐसी व्यक्तियों के स्थायीकरण की तारीख से अवधारित की जाएगी किन्तु सेवा में के अन्य उच्चतर पदों पर या सेवा में प्रत्येक ग्रुप/अनुभाग में के अन्य उच्चतर पद–प्रवर्गो, यथास्थिति, पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता ऐसे पदों पर उनके नियमित चयन की तारीख से अवधारित की जाएगी;

परन्तु :

(i) यह कि नियम 6 (i) (ii) के अधीन स्क्रीन किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता इन नियमों के प्रारम्भ होने की तिथि तक सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किए गए समस्त व्यक्तियों के नीचे निश्चित की जायेगी और इन व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता तदर्थ या स्थानापन्न हैसियत में अथवा अर्जेन्ट अस्थाई आधार पर की गई निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार समिति द्वारा अवधारित की जाएगी।

(ii) यह कि प्रवर्ग विशेष में के किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने नियुक्ति के आदेश की तारीख से छः सप्ताह के भीतर और यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कालावधि बढ़ाई गई हो तो ऐसी बढ़ाई हुई कालावधि के भीतर सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी जिस क्रम में उनके नाम नियम 25 के अधीन बनाई गई सूची में रखे गए है।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(iii) यदि एक ही वर्ष में सेवा के किसी पद पर दो या अधिक व्यक्ति नियुक्त किए गए हों तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।

(iv) ऐसे चयन, जो "**पुनर्विलोकन**"[85] एवं पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से जो पश्चातवर्ती चयन के परिणास्वरूप चुने तथा नियुक्त किए गए हों वरिष्ठ होंगे।

वरिष्ठता–एवं–योग्यता के आधार पर तथा योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्यिों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो ठीक नीचे की ग्रेड में उनकी है।

35. परीवीक्षा की कालावधि.– (1) किसी अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए समस्त व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जाएंगे और जो व्यक्ति किसी अधिष्ठायी रिक्ति के प्रति सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाएँ उन्हें, एक वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा;

परन्तु यह कि–

(i) उनमें से ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने किसी स्थाई रिक्ति पर पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा हुई नियुक्ति से पूर्व ऐसे पद पर अस्थाई तौर पर या स्थानापन्न रूप में कार्य किया हो जिस पर बाद में उनका नियमित चयन हो गया तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे स्थानापन्न या अस्थाई सेवाकाल को परिवीक्षाकाल में समायोजित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा किन्तु ऐसा करने से किसी वरिष्ठ व्यक्ति का अधिक्रमण नही होगा या संबंधित कोटा में उनके अधिमान क्रम में परिवर्तन नही होगा या भर्ती में आरक्षण प्रभावित नहीं होगा।

(ii) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की वह कालावधि जिसमें "**कोई**"[86] व्यक्ति तत्समान या उच्चतर पदों पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो परिवीक्षाकाल में गिनी जाएगी।

"परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति, जिसकी एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद, जो राज्य सेवा के प्रवेश पद अर्थात् प्रोग्रामर से अगला उच्चतर पद है, पर सीधी भर्ती की गयी है और जो इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक और वृतिक अर्हता के साथ–साथ अनुभव

---

[85] कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र क्रमांक प.5(2)कार्मिक/क–2/91 पार्ट दिनांक 17.12.2015 के नियम 34 परन्तुक (iv) की प्रथम पंक्ति में शुद्ध किया गया है।

[86] कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र क्रमांक प.5(2)कार्मिक/क–2/91 पार्ट दिनांक 17.12.2015 के नियम 35 के उप नियम (1) के नीचे आया परन्तुक (ii) के क्रम में शुद्ध किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

की शर्तें रखता है, एक वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में रखा जायेगा।"[87]

(2) उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षाकाल की कालावधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति को ऐसी विभागीय परीक्षा पास करनी होगी और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जो सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करें।

स्पष्टीकरण :– उस व्यक्ति का, जिसकी मृत्यु हो जाए या जो अधिवार्षिकि आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत होने को हो, परिवीक्षाकाल इतना कम कर दिया जाएगा कि यह उसकी मृत्यु या राज्य सेवा से उसकी सेवानिवृति की तारीख से एक दिन पूर्व समाप्त हो जाए। स्थायीकरण के लिए नियम में विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त, मृत्यु या सेवानिवृत्ति की दशा में अधित्यक्त समझी जाएगी।

36. **कतिपय मामलों में स्थायीकरण.**– (1) पूर्ववर्ती नियमों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी पद पर अस्थाई या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी कर्मचारी को, जिसे इन नियमो के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात् उसके सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने के बाद सेवा में दो वर्ष की कालावधि पूर्ण करने पर अथवा पदोंन्नति द्वारा नियुक्त होने के बाद उसके द्वारा सेवा में एक वर्ष की कालावधि पूर्ण करने पर यदि छः माह की कालावधि के भीतर स्थाई न किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थाई माने जाने का हकदार होगा, यदि :–

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन किसी पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो अथवा वह कार्य करता यदि वह प्रशिक्षण या प्रतिनियुक्ति पर न होता;

(ii) उसने इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए स्थायीकरण से सम्बन्धित नियम के अधीन विहित शर्तो की पूर्ति की हो; और

(iii) विभाग में स्थाई रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) ऊपर उप नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी यदि उक्त उप–नियम में उल्लिखित शर्तो को पूरी करने में असफल रहता है तो ऊपर उप

---

[87] कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 पार्ट दिनांक 01.07.2015 के नियम 35 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

नियम (1) में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम,1959 या अन्य किन्हीं नियमों में यथा विहित कालावधि तक या एक वर्ष तक जो भी अधिक हो बढाया जा सकेगा। यदि यह कर्मचारी अभी भी ऊपर उपनियम (1) में उल्लिखित शर्तो को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से उन्मोचित या हटा दिये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उन्मोचित या हटाया जाता है अथवा उसे उस अधिष्ठायी पद या निम्नतर पद, यदि कोई हो, पर पदावनत किया जा सकेगा जिसके लिए वह हकदार है।

(3) ऊपर उप नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी उक्त सेवाकाल के पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नही किया जाएगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवा अवधि के दौरान संसूचित न किए गए हों।

(4) ऊपर उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थाई न करने के कारणों को नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तिका तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

स्पष्टीकरण :– (i) इन नियम के प्रयोजन हेतु नियमित भर्ती से अभिप्रेत है :–

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, भर्ती को किसी भी रीति द्वारा या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय की गई नियुक्ति;

(ख) उस पद पर नियुक्ति जिसके लिए कोई सेवा नियम विद्यमान न हों, यदि पद आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो तो भर्ती आयोग के परामर्श से की गई हो;

(ग) नियमित भर्ती के पश्चात् स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति, जबकि सेवानियम इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुज्ञात करते हो;

(घ) व्यक्ति जिन्हें इन नियमों के अधीन अधिष्ठायी नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया हो नियमित रूप से भर्ती किए हुए समझे जाएंगे;

परन्तु यह कि इसमें ऐसी अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति या स्थानापन्न पदोन्नति सम्मिलित नहीं होगी जो पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के अध्यधीन हो।

(ii) किसी अन्य संवर्ग में धारणाधिकार रखने वालें, व्यक्ति इस नियम के अधीन स्थायीकरण हेतु पात्र होंगे और वे इस विकल्प का प्रयोग करने के भी पात्र होंगे कि वे अपनी अस्थाई नियुक्ति के दो वर्ष

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

व्यतीत होजाने पर इस नियम के अधीन स्थायीकरण नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल कोई विकल्प प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि उन्होंने इस नियम के अधीन स्थायीकरण के पक्ष में अपना विकल्प दे दिया है और पूर्वपद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जाएगा।

37. **परिवीक्षाकाल के दौरान असन्तोषप्रद प्रगति.–** (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को, परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर किसी भी समय ऐसा प्रतीत हो कि सेवा के किसी सदस्य ने उसको दिये गये अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या वह संतोषप्रदान करने में विफल रहा है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, नियुक्ति से ठीक पूर्व उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से धारित पद पर, प्रतिवर्तित कर सकेगा बशर्ते उस पद उसका धारणाधिकार हो और अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुख कर सकेगा या "उसकी"[88] सेवा समाप्त कर सकेगा:

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे तो वह किसी मामले में या मामले के किसी वर्ग में सेवा के किसी सदस्य के परिवीक्षाकाल को, ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये जो सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में दो वर्ष तक या ऐसे पद पर पदोन्नति/विशेष चयन द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में एक वर्ष तक हो, बढ़ा सकेगा;

परन्तु यह और कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति, यथास्थिति, के व्यक्तियों के मामलो में परिवीक्षाकाल को एक बार में एक वर्ष तक और कुल मिलाकर तीन वर्ष तक बढा सकेगा।

(2) उपरोक्त उपनियम (1) में किसी भी बात के होते हुए यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षाकाल के दौरान निलम्बित कर दिया जाए या उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाना अनुध्यात हो या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हो तो उसका परिवीक्षाकाल ऐसी कालावधि तक, जो नियुक्ति प्राधिकारी उन परिस्थितियों में उचित समझे, बढ़ाया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर उपनियम (1) के अधीन प्रतिवर्तित या सेवोन्मुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिकार पाने का हकदार नहीं होगा।

38. **स्थायीकरण.–** नियम 35 के अधीन परिवीक्षा पर रखा गया व्यक्ति परिवीक्षावधि की समाप्ति पर अपनी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जाएगा यदि–

---

[88] कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र क्रमांक प.5(2)कार्मिक/क–2/91 पार्ट दिनांक 17.12.2015 के नियम 37 के उप नियम (1) के क्रम में शुद्ध किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(क) उसने विभागीय परीक्षा पास करली हो और ऐसा प्रशिक्षण जैसा कि नियम 35 के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट है, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो;

(ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता सम्बन्धी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करली हो, और

(ग) सरकार का विश्वास हो गया हो कि उसकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है और यह कि वह अन्यथा स्थायीकरण के योग्य है।

भाग–VII वेतन

39. **वेतनमान.–** सेवा के किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के मासिक वेतन का मान वह होगा जो नियम 41 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किया जाए।

40. **परिवीक्षाकाल के दौरान वेतनवृद्धि.–** परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा की कालावधि के दौरान उसे अनुज्ञेय वेतनमान में राजस्थान सेवा नियम, 1951, के उपबंधों के अनुसार वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा।

41. **वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन आदि का विनियमन.–** इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय सेवा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होगी:

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम, 1950, समय–समय पर यथा संशोधित;

(2) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय–समय पर यथा संशोधित;

(3) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान "**युक्तियुक्तकरण**"[89]) नियम, 1956, समय–समय पर यथा संशोधित;

(4) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय–समय पर यथा संशोधित;

(5) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1961, समय–समय पर यथा संशोधित;

(6) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय–समय पर यथा संशोधित;

(7) राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतनमान) नियम, 1969, समय–समय पर यथा संशोधित;

---

[89] कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र क्रमांक प.5(2)कार्मिक/क–2/91 पार्ट दिनांक 17.12.2015 के नियम 41 के क्रम में शुद्ध किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम [signature] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(8) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित नवीन वेतनमान) नियम, 1976, समय–समय पर यथा संशोधित;

(9) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1983, समय–समय पर यथा संशोधित;

(10)राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1987 और 1989, समय–समय पर यथा संशोधित;

(11)राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971

(12)भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कोई अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हो और तत्समय प्रवृत्त हो।

42. **शंकाओं का निराकरण.**– यदि इन नियमों के लागू करने, इनके निर्वचन और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को निर्देशित किया जाएगा और ऐसे मामले में उनका विनिश्चय अंतिम होगा।

43. **निरसन और व्यावृत्ति.**– इन नियमों में समाविष्ठ मामलों से संबंधित समस्त नियम तथा आदेश, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के तुरन्त पूर्व प्रवृत्त थे, इसके द्वारा निरसित किए जाते है;

परन्तु, यह कि इस प्रकार अतिष्ठित नियमों और आदेशों के अधीन की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

44. **नियमों के शिथिलीकरण के शक्ति.**– अपवाद सापेक्ष मामलों में यदि सरकार के प्रशासनिक विभाग का समाधान हो जाए कि भर्ती के विषय में आयु या अनुभव की अपेक्षाओं के कारण किसी विशेष मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठोरता होती है या जहाँ सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति तथा आयोग के परामर्श से आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों से अभिमुक्त कर सकेगी या उन्हें ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुये जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिये आवश्यक माना जाए; अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी या उन्हें शिथिल कर सकेगी परन्तु शर्त यह है कि ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से ही अन्तर्विष्ट उपबन्धों की तुलना में कम हितकर न हो। शिथिलीकरण विषयक ऐसे मामले राजस्थान लोक सेवा आयोग को, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्देशित किए जाएँगें।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

अनुसूची । (राज्य सेवा के पद)

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्त्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिऐ अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	तकनीकी निदेशक[90]	–	100%	–	अपर निदेशक	स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव और सेवा के सदस्य के रूप में 25 वर्ष की सेवा या एनालिस्ट–कम– प्रोग्रामर (उप निदेशक)[91] के पद पर सेवा के सदस्य के रूप में 20 वर्ष की सेवा या सेवा के ऐसे सदस्यों ने, जो एनालिस्ट–कम– प्रोग्रामर (उप निदेशक)[92] के रूप में सीधे चयनित हुए हैं, 20 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो।	
2	अपर निदेशक[93]	–	100%	–	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)[94]	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	–

90 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम संखंक 1 से 4 को क्रम संख्यांक 2 से 5 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा एवं इस प्रकार पुनःसंख्याकित विद्यमान क्रम संख्यांक 2 के पूर्व निम्नलिखित नयी क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेगी।

91 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम सं. 6(iv) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर" के स्थान पर "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)" प्रतिस्थापित किया गया है।

92 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम सं. 6(iv) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर" के स्थान पर "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)" प्रतिस्थापित किया गया है।

93 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 17.11.2009 के क्रम में यह नई प्रविष्ठी अन्तःस्थापित की गई है।

94 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम सं. 6(iii) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "सिस्टम एनालिस्ट" के स्थान पर "सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)" प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्त्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिऐ अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
3	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)[95]	–	100%	–	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)[96]	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव[97]	–
4	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)[98]	50%	50%	[99] (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से **एम.सी.ए. अथवा सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार में बी.ई./**[100] बी.टेक. या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता।	प्रोग्रामर	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष की सेवा	–

---

95 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम सं. 6(iii) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "सिस्टम एनालिस्ट" के स्थान पर "सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)" प्रतिस्थापित किया गया है।

96 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम सं. 6(iv) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर" के स्थान पर "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)" प्रतिस्थापित किया गया है।

97 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 17.11.2009 के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष की सेवा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव" प्रतिस्थापित की गई है।

98 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम सं. 6(iv) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर" के स्थान पर "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)" प्रतिस्थापित किया गया है।

99 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

100 कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क–2/91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दू सं. 2(i) के क्रम में।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्त्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिऐ अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
				या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार में एम.टेक. डिग्री या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. (सूचना प्रौद्योगिकी) या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। और [101] [102] **"(2) विधिक संस्था जैसे कि सरकारी संगठनों/सरकारी उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों आदि में 3 वर्ष का अर्हता पश्चात् सुसंगत कार्य अनुभव।"**			

सत्यापित प्रति

[101] कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क–2/91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दू सं. 2(ii) के क्रम में।

[102] कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 10.01.2013 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

(राम [signature] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्त्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिऐ अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
5[103]	प्रोग्रामर	50%[104]	50%[105]	[106] (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार में बी.ई./बी.टेक./एम.एससी.[107 108] या एम.सी.ए. या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार में एम.टेक. डिग्री या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. (सूचना प्रौद्योगिकी) या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता।	सहायक प्रोग्रामर[109]	स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित पद पर "**5 वर्ष का अनुभव**".**110**	–

103 विद्यमान क्रम संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नयी क्र.स. 4 और उसकी प्रविष्टियां कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित की गयी है।

104 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम सं. 6(v) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "60%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "50%" प्रतिस्थापित किया गया है और इसे 01.04.2011 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा।

105 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम सं. 6(vi) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "40%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "50%" प्रतिस्थापित किया गया है और इसे 01.04.2011 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा।

106 कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 10.01.2013 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

107 कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क–2/91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दू सं. 2(iii) के क्रम में।

108 कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. प.5(2)कार्मिक/क–2/91 पार्ट दिनांक 15.04.2013 के क्रम में।

109 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)कार्मिक/क–2/91 दिनांक 28.06.2008 के क्रम में "कम्प्यूटर आपरेटर" के स्थान पर "सहायक प्रोग्रामर" प्रतिस्थापित किया गया है।

110 कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क–2/91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दू सं. 2(iii) के क्रम में।

सत्यापित प्रति

(राम कृष्ण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

[111]अनुसूची II (अधीनस्थ सेवा के पद)

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्त्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिऐ अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
1[112]	सहायक प्रोग्रामर[113]	–[114]	100%[115]	–[116 117 118]	सूचना सहायक[119]	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष की सेवा	
2	सूचना सहायक[120]	100%	–	[121 122](i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रो निक्स या इलेक्ट्रोनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य।	–	–	

111 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.05.1997 के क्रम में प्रतिस्थापित की गयी है।

112 विद्यमान क्रम संख्या 1 और उसकी प्रविष्टियों हटायी जायेंगी, विद्यमान क्रम संख्या 2 और 3 क्रमशः क्रम सं.1 और 2 के रूप में पुनःसंख्यांकित कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित की गयी है।

113 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)कार्मिक/क–2/91 दिनांक 28.06.2008 के क्रम में "कम्प्यूटर आपरेटर" के स्थान पर "सहायक प्रोग्रामर" प्रतिस्थापित किया गया है।

114 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम सं. 7(i) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "50%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "–" प्रतिस्थापित की गई है।

115 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम सं. 7(i) के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "50%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "100%" प्रतिस्थापित की गई है।

116 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित की गयी है।

117 कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क–2/91 दिनांक 26.09.2011 की अनुसूची II के संशोधन के क्रम में।

118 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम सं. 7(iii) के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

119 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)कार्मिक/क–2/91 दिनांक 28.06.2008 के क्रम में "डाटा एन्ट्री आपरेटर" के स्थान पर "सूचना सहायक" प्रतिस्थापित किया गया है।

120 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं.एफ.5(2)कार्मिक/क–2/91 दिनांक 28.06.2008 के क्रम में "डाटा एन्ट्री आपरेटर" के स्थान पर "सूचना सहायक" प्रतिस्थापित किया गया है।

121 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 25.10.2007 के क्रम में प्रतिस्थापित की गयी है।

122 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम सं. 7(iv) के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रम सं.	पदों का नाम	भर्ती का स्त्रोत प्रतिशत सहित		सीधी भर्ती के लिऐ अर्हता एवं अनुभव	पद जिसमें पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
		सीधी	पदोन्नति				
1	2	3	4	5	6	7	8
				या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पोलीटेक्नीक संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पोलीटेक्नीक डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन [123] **"राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं.)/डीओईएसीसी (डोएक)"** द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र, और (ii) [124]"हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति।"			

[123] कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 10.01.2013 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

[124] कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 10.01.2013 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

"अनुसूची III[125]

(नियम 18 देखिए)

एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)[126]

के पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण

अभ्यर्थी को समस्त प्रश्नपत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए अंक और अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा :–

प्रश्नपत्र का नाम	अंक	समय
प्रश्नपत्र I	100	2 घण्टे
प्रश्नपत्र II	100	2 घण्टे

प्रश्नपत्रों का विस्तार

लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र I

तर्क परीक्षण एवं संख्यात्मक विश्लेषण और सामान्य ज्ञान

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक मामले।

डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम

ई आर डायग्राम, डाटा मॉडल्स – रिलेशनल एण्ड आब्जेक्ट ओरियेन्टेड डाटा बेसैज।

डाटा बेस डिजाइन : कन्सेपच्युल डाटा बेस डिजाइन, नोरमलाइजेशन प्रिमिटिव एण्ड कंपोजिट डाटा टाइप, कन्सेप्ट ऑफ फिजीकल एण्ड लोजिकल डाटा बेस, डाटा एब्सट्रेक्शन एण्ड डाटा इन्डिपिडेन्स, डाटा एग्रीगेशन एण्ड रिलेशनल एलजेब्रा।

एप्लीकेशन यूजिंग डवलपमेंट एस क्यू एल : होस्ट लेंगवेज इन्टरफेस, एम्बैडेड एस क्यू एल प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोसिज़र एण्ड ट्रिगर्स एण्ड व्यूज़, कन्सट्रेन्टस एसर्शन्स।

इन्टरनल ऑफ आरडीबीएमएस : फिजीकल डाटा ऑरगनाईजेशन इन सीक्वेन्शियल, इन्डेक्सड रेन्डम एण्ड हैश्ड फाइल। इन्वरटेड एण्ड

---

125 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची–III के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

126 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(2) डीओपी/ए– II /91 दिनांक 01.12.2011 के कम सं. 8 के क्रम में विद्यमान अभिव्यक्ति "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर" के स्थान पर "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)" प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर, बी ट्रीज़, बी प्लस ट्रीज़, क्वेरी ऑप्टीमाईजेशन, जोइन एल्गोरिथम।

ट्रान्जेक्शन प्रोसेसिंग, कॉन्करेन्सी कन्ट्रोल एण्ड रिकवरी मेनेजमेंट। ट्रान्जेक्शन मॉडल प्रोपर्टिज़ एण्ड स्टेट सीरियलाइजेबिलिटी। लॉक बेस प्रोटोकॉल, टू फेज़ लॉकिंग।

डिफरेंट सर्वर मल्टी यूज़र, मल्टीप्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम एण्ड रिक्वायरमेंट फॉर क्लाइंट इन्टरफेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन एन्वायरमेंट।

डाटा कम्यूनिकेशन एण्ड कम्प्यूटर नेटवर्क्स :

कम्प्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सर्किट स्विचिंग, पैकिट एण्ड मैसेज स्विचिंग, नेटवर्क स्ट्रक्चर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, रिट्रांस्मिशन एलगोरिथम।

मलटिपल एक्सेस एण्ड एलोहा। सीएसएमए/सीडी एण्ड ईथरनेट। हाई स्पीड लेनस् एण्ड टोपोलॉज़िज। ब्रोडकास्ट राउटिंग एण्ड स्पैनिंग ट्रीज़।

टीसीपी/आईपी स्ट्रेक। आईपी नेटवर्क्स एण्ड इन्टरनेट। डीएनएस एण्ड फायरवाल्स। इन्ट्रूजन डिटेक्शन एण्ड प्रिवेन्शन।

ट्रांसपोर्ट लेयर एण्ड टीसीपी/आईपी। नेटवर्क मैनेजमेंट एण्ड इन्टरओपरेबिलिटी।

प्रश्नपत्र II

सिस्टम एनालिसिस एण्ड डिजाइन

सिस्टम कन्सेप्ट : डेफिनिशन एण्ड करेक्टरस्टिक्स, एलीमेंटस् एण्ड बाउंडरीज,टाइप आफ सिस्टम डवलपमेंट लाइफसाइकल, रिकग्नीशन ऑफ नीड्स, फिजीबिलीटी स्टडी, प्रोटोटाइपिंग रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट।

सिस्टम प्लानिंग एण्ड टूल लाइक डीएफडी , डाटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्रीज़, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एण्ड डिसीजन टेबल्स।

आईपीओ चार्टस, स्ट्रक्चर्ड वॉकथ्रू, इनपुट आउटपुट फ्रॉम डिजाइन, रिक्वायरमेंट एण्ड क्लासीफिकेशन ऑफ फार्म्स, ले आउट कंसीडरेशन फोर्म कन्ट्रोल, ऑबजेक्ट ऑरियन्टेड डिजाइन कंसेप्टस एण्ड मेथड्स।

सॉफ्टवेयर लाइफ साइकल, सॉफटवेयर इंजिनियरिंग पेराडिग्म्स, सिस्टम एनालिसिस : फिजीबिलीटी स्टडी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कोस्ट बेनीफिट एनालिसिस, प्लानिंग सिस्टम, एनालिसिस टूल्स एण्ड टेक्नीक्स।

सिस्टम डिजाइन : डिजाइन फण्डामेंटल्स, मोड्यूलर डिजाइन, डाटा एण्ड प्रोसिजरल डिजाइन, ऑब्जेक्ट ऑरियेन्टेड डिजाइन।

सिस्टम डवलपमेंट : कोड डोक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम डिजाइन पेराडिग्म्स, एफीशियन्सी कॉन्सीडरेशन।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

वेरिफिकेशन, वेलिडेशन एण्ड टेस्टिंग : टेस्टिंग मेथड्स फोरमल प्रोग्राम वेरिफिकेशन, टेस्टिंग स्ट्रेटिजीज।

सॉफ्टवेयर मेंटेनेन्स : मेन्टेनेन्स करेक्टरस्टिक्स, मेन्टेनेबिलीटी, मेन्टेनेन्स टास्क एण्ड साइड इफेक्टस् ।

सॉफटवेयर प्रोजेक्ट मेनेजमेंट

सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सेप्ट : दी मैनेजमेंट स्पैक्ट्रम, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एण्ड प्रोजेक्ट।

सॉफ्टवेयर प्रोसेस एण्ड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स : सॉफ्टवेयर मेज़रमेंट साइज ऑरियन्टेड मैट्रिक्सेस, फंक्शन ऑरियन्टेड मैट्रिसैस।

सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग : ऑब्जेक्टिव्ज, डिकम्पोजिशन टेक्नीक्स, इम्प्रिकल एस्टीमेशन मॉडल।

रिस्क एनालिसिस एण्ड मैनेजमेंट : **"रिस्क आईडेंटिफिकेशन प्रोजेक्शन,"**[127] रिस्क रिफाइनमेंट, रिस्क मोनिटरिंग एण्ड मैनेजमेंट।

प्रोजेक्ट शेडयूलिंग एण्ड ट्रेकिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफटवेयर कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण :

(i) प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।

(ii) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।

(iii) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से, जो अन्यथा उसे प्रोदभूत होते, इस कारण कुछ अंकों की कटौती कर दी जायेगी।

(iv) परीक्षा के प्रश्न–पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के होंगे।

(v) परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।"

---

[127] कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक / क–2 / 91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दू सं. 4 के क्रम में।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

"अनुसूची IV[128]
(नियम 18 देखिए)

प्रोग्रामर के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्य विवरण

1. अभ्यर्थी को समस्त प्रश्नपत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए अंक और अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा :–

प्रश्नपत्र का नाम	अंक	समय
प्रश्नपत्र I	100	2 घण्टे
प्रश्नपत्र II	100	2 घण्टे

प्रश्नपत्रों का विस्तार

लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र I

तर्क परीक्षण एवं संख्यात्मक विश्लेषण और सामान्य ज्ञान

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले।

डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम

ई आर डायग्राम, डाटा मॉडल्स – रिलेशनल एण्ड आब्जेक्ट ओरियेन्टेड डाटा बेसैज।

डाटा बेस डिजाइन : कन्सेपच्युल डाटा बेस डिजाइन, नोरमलाईजेशन प्रिमिटिव एण्ड कंपोजिट डाटा टाइप, कन्सेप्ट ऑफ फिजीकल एण्ड **"लोजिकल डाटा बेसेज,"**[129] डाटा एब्सट्रेक्शन एण्ड डाटा इन्डिपेंडेन्स, डाटा एग्रीगेशन एण्ड रिलेशनल एलजेब्रा।

एप्लीकेशन डवलपमेंट यूजिंग एस क्यू एल : होस्ट लेंगवेज इन्टरफेस, एम्बैडेड एस क्यू एल प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोसिज़र एण्ड ट्रिगर्स एण्ड व्यूज़, कन्सट्रेन्टस एसर्शन्स।

इन्टरनल ऑफ आरडीबीएमएस : फिजीकल डाटा ऑरगनाईजेशन इन सीक्वेन्शियल, इन्डेक्सड रेन्डम एण्ड **"हैश्ड फाइल्स"**[130]। इन्वरटेड एण्ड मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर, बी ट्रीज़, बी प्लस ट्रीज़, क्वेरी ऑप्टीमाईजेशन, जोइन एल्गोरिथम।

---

128 कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची–IV के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।

129 कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क–2/91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दू सं. 5(ii) के क्रम में।

130 कार्मिक (क–2) विभाग के शुद्धि पत्र सं. एफ.5(2)कार्मिक/क–2/91 दिनांक 26.09.2011 के बिन्दू सं. 5(ii) के क्रम में।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

ट्रान्जेक्शन प्रोसेसिंग, कॉन्करेन्सी कन्ट्रोल एण्ड रिकवरी मेनेजमेंट। ट्रान्जेक्शन मॉडल प्रोपर्टिज़ एण्ड स्टेट सीरियलाइजेबिलिटी। लॉक बेस प्रोटोकॉल, टू फेज़ लॉकिंग।

डाटा कम्यूनिकेशन एण्ड कम्प्यूटर नेटवर्क्स

कम्प्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सर्किट स्विचिंग, पैकिट एण्ड मैसेज स्विचिंग, नेटवर्क स्ट्रक्चर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, रिट्रांस्मिशन एलगोरिथम।

मल्टीपल एक्सेस एण्ड एलोहा। सीएसएमए/सीडी एण्ड ईथरनेट। हाइ स्पीड लेन एण्ड टोपोलॉज़िस। ब्रोडकास्ट राउटिंग एण्ड स्पेनिंग ट्रीज़।

टीसीपी/आईपी स्टेक। आईपी नेटवर्क्स एण्ड इन्टरनेट। डीएनएस एण्ड फायरवाल्स। इन्ट्रूजन डिटेक्शन एण्ड प्रिवेन्शन।

ट्रांसपोर्ट लेयर एण्ड टीसीपी/आईपी। नेटवर्क मैनेजमेंट एण्ड इन्टरओपरेबिलिटी।

प्रश्नपत्र II

सिस्टम एनालिसिस एण्ड डिजाइन

सिस्टम कन्सेप्ट : डेफिनिशन एण्ड करक्टरस्टिक्स, एलीमेंट एण्ड बाउंडरीज, टाइप आफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफसाइकल, रिकग्नीशन ऑफ नीड्स, फिजिबिलीटी स्टडी, प्रोटोटाइपिंग, रोल आफ सिस्टम एनालिस्ट।

सिस्टम प्लानिंग एण्ड टूल्स लाइक डीएफडी, डाटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्रीज़, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एण्ड डिसीजन टेबल्स।

आईपीओ चार्टस, स्ट्रक्चर्ड वॉकथ्रू, इनपुट आउटपुट फ्रोम डिजाइन, रिक्वायरमेंट एण्ड क्लासिफिकेशन आफ फोर्म्स, ले आउट कंसीडरेशन फोर्म कन्ट्रोल, ऑबजेक्ट ओरियन्टेड डिजाइन कंसेप्ट्स एण्ड मेथड्स।

सॉफ्टवेयर लाइफ साइकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेराडिग्म्स।

सिस्टम एनालिसिस : फिजिबिलीटी स्टडी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कोस्ट बेनीफिट एनालिसिस, प्लानिंग सिस्टम, एनालिसिस टूल्स एण्ड टेक्नीक्स।

सिस्टम डिजाइन : डिजाइन फण्डामेंटल्स, मोड्यूलर डिजाइन, डाटा एण्ड प्रोसिजरल डिजाइन, ऑब्जेक्ट ऑरियन्टेड डिजाइन।

सिस्टम डवलपमेंट : कोड डोक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम डिजाइन पेराडिग्म्स, एफीशियन्सी कॉन्सीडरेशन।

सत्यापित प्रति

(राम [signature] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

वेरिफिकेशन, वेलिडेशन एण्ड टेस्टिंग : टेस्टिंग मेथड्स, फोरमल प्रोग्राम वेरिफिकेशन, टेस्टिंग स्ट्रेटिजीज।

सॉफ्टवेयर मेन्टेनेन्स : मेन्टेनेन्स करक्टरस्टिक्स, मेन्टेनेबलिटी, मेन्टेनेन्स टास्क एण्ड साइड इफेक्ट्स।

प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स :

इन्ट्रोडक्शनः इन्टरनेट, जावा एज ए टूल फॉर इन्टरनेट एप्लीकेशन्स, बाइट कोड एण्ड इट्स एडवांटेजिज।

आब्जेक्ट ऑरियन्टेड प्रोग्रामिंग एण्ड डिजाइनः रिव्यू ऑफ एब्सट्रक्शन, आब्जेक्ट्स एण्ड अदर बेसिक्स, एनकेप्स्यूलेशन, इन्फोरमेशन हाइडिंग, मेथड, सिगनेचर, क्लासेज एण्ड इन्सटान्सेज, पोलीमोरफिज्म, इन्हेरिटेन्स, एक्सेप्शन्स एण्ड ऐक्सेप्शन हैण्डलिंग विद रेफरेन्स टू आब्जेक्ट माडलिंग, कपलिग एण्ड कोहेजन इन आब्जेक्ट ओरियन्टेड सॉफ्टवेयर। आब्जेक्ट ओरियन्टेड डिजाइन– प्रोसेस, एक्सप्लोरेशन एण्ड एनालेसिस।

जावा प्रोग्रामिंग बेसिक्स : वेरिएबिल्स एण्ड एसाइनमेन्ट्स। इनपुट एण्ड आउटपुट, डाटा टाइप्स एण्ड एक्सप्रेशन्स, फ्लो ऑफ कन्ट्रोल, लोकल वेरिएबिल्स, ओवरलोडिंग पेरामीटर पासिंग, दिस पाइन्टर, जावा आब्जेक्ट ओरियन्टेड कन्सेप्ट्सः यूज आफ फाइल फार आई/ओ, फारमेटिंग आउटपुट विद स्ट्रीम फंकशन्स, केरेक्टर आई/ओ, इन्हेरिटेन्स, पब्लिक एण्ड प्राइवेट मेम्बर्स, कन्सट्रक्टर्स फार इनिशियलाइजेशन, डिराइव्ड क्लासेज, फ्लो आफ कन्ट्रोल एरेज– प्रोग्रामिंग विद एरेज, एरेज आफ क्लासेज, एरेज एज फंक्शन आरग्यूमेन्ट्स, स्ट्रिंग्स, मल्टीडाइमेन्शनल एरेज, एरेज आफ स्टिंग्स, वेक्टर्स, बेस क्लासेज।

इन्ट्रोडक्शन टू जेएसपी., आरएमआई, जावा एपलेट्स एण्ड सर्वलेट्स ।

इन्ट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क एण्ड विजुअल प्रोग्रामिंग इन्टरफेस ।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण :

(i) प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।

(ii) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(iii) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से, जो अन्यथा उसे प्रोदभूत होते, इस कारण कुछ अंकों की कटौती कर दी जायेगी।

(iv) परीक्षा के प्रश्न–पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के होंगे।

(v) परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।''

"अनुसूची–V [131] [132] [133] [134] [135]

(नियम 18 देखिए)

सूचना सहायक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण और विस्तार

परीक्षा दो भागों में होगी। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के भाग–I में अर्हित होते हैं परीक्षा के भाग–II में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। परीक्षा के भाग–I के लिए अनुज्ञात अंक और समय तथा परीक्षा के भाग–II के लिए अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा :–

भाग I – लिखित परीक्षा	**अधिकतम अंक**	**समय**
योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त	100	3 घण्टे
भाग II – अर्हता टंकण गति परीक्षण :		**समय**
(क) हिन्दी		15 मिनट
(ख) अंग्रेजी		15 मिनट

---

131 कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 29.05.1997 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

132 कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 25.10.2007 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

133 कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 01.04.2011 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

134 कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 01.12.2011 के क्रम में उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची–VI को अनुसूची–V के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया है।

135 कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 दिनांक 10.01.2013 के क्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

टिप्पण :

अर्हता टंकण गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे और योग्यता सूची परीक्षा के भाग–I में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जायेगी किन्तु केवल वे अभ्यर्थी जो टंकण गति परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे।

भाग–I –लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरण

योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त

(क) प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्शी, लाजिकल रीजनिंग, मेन्टल एबिलिटी एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास।

(ख) इनपुट–आउटपुट डिवाइसिस, पाएन्टिंग डिवाइसिस और स्केनर सहित ओवरव्यू ऑफ द कम्प्यूटर सिस्टम।

(ग) इन्ट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग (एमएस–वर्ड), स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर (एमएस–एक्सल), प्रजेन्टेशन साफ्टवेयर (एमएस–पावर पोइन्ट), डीबीएमएस साफ्टवेयर (एमएस–एक्सेस)।

(घ) रिप्रजेन्टेशन ऑफ डाटा (डिजिटल वर्सेज एनालॉग, नम्बर सिस्टम–डेसिमल, बाइनरी एण्ड हेक्साडेसिमल), इन्ट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग, कान्सेप्ट्स ऑफ फाईल्स एण्ड इट्स टाईप्स।

(ङ) इन्ट्रोडक्शन ऑफ इन्टरनेट टेक्नोलोजी एण्ड प्रोटोकॉल, लेन, मेन, वेन, सर्च सर्विसिस/इन्जिंस, इन्ट्रोडक्शन टू ऑनलाईन एण्ड ऑफलाईन मेसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वैब ब्राउजर्स, वेब पब्लिशिंग, क्रियेशन एण्ड मेन्टेनन्स ऑफ वेबसाईट्स, एचटीएमएल इन्टरएक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एण्ड ग्राफिक्स, वॉईस मेल एण्ड विडियो कान्फ्रेन्सिंग, इन्ट्रोडक्शन टू ई–कॉमर्स।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(च) सिक्यूरिटी : प्रोटेक्टिंग कम्प्यूटर सिस्टम फ्रोम वाइरसैस एण्ड मॅलिशस अटैक्स, इन्ट्रोडक्शन टू फायरवाल्स एण्ड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एण्ड रिस्टोरिंग डाटा।

(छ) एलगोरिथम फॉर प्रोब्लम सोलविंग, इन्ट्रोडक्शन टू सी लेंगवेज, प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रोग्रामिंग टेक्नीक्स, इन्ट्रोडक्शन ऑफ आबजेक्ट आरिएन्टेड़ प्रोग्रामिंग (ऊप्स) कान्सेप्ट्स, इन्ट्रोडक्शन टू "इन्टिग्रेटिड डवलपमेंट इन्वायरमेंट" एण्ड इट्स एडवान्टेजिस।

भाग–II– टंकण गति परीक्षण

केवल उन अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर मशीन पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में गति परीक्षण लिया जायेगा जो परीक्षा के भाग–I में अर्हित हुए हैं। परीक्षा के भाग–II (अर्हता टंकण गति परीक्षण) में प्रविष्ट किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों (प्रवर्गवार) की लगभग तीन गुना होगी।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण :

1. प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु इसका सर्वतःपूर्ण होना आशयित नहीं है।
2. यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में इस कारण कुछ अंकों की, जो उसे अन्यथा प्रोदभूत होते, कटौती कर दी जायेगी।
3. परीक्षा के प्रशपपत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के हो सकेंगे।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

4. परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह0

शासन संयुक्त सचिव

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

कार्मिक (क–।।) विभाग

संख्या एफ. 5(2) कार्मिक/क–2/91 जयपुर, दिनांकः 29.05.97

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 में, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः–

संशोधन

उक्त नियमों में:

1. नियम 24 में संशोधनः– नियम 24 के द्वितीय पैरे में अभिव्यक्ति "साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकेगा" और विराम चिन्ह के बीच अभिव्यक्ति," जैसा कि अनुसूची **III, IV, V** और **VI** यथा स्थिति, में निर्दिष्ट है "अंतः स्थापित की जायेगी।
2. अनुसूची **II** में संशोधनः– (**i**) कम संख्या 2 के सामने स्तम्भ सं. 5 में विद्यमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

"भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रोनिक्स में स्नातक।

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पोलीटेक्नीक संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक तथा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविधालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्तानक तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित "ओ" स्तर का प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

या

भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक तथा नेशनल स्टेट काउन्सिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के अधीन आयोजित डाटा प्रिप्रेशन एण्ड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर का प्रमाण–पत्र''।

(ii) क्र.सं. 3 के सामने स्तम्भ सं. 5 में आये शब्द ''डाटा एण्ट्री मशीन'' को ''कम्प्यूटर'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. विद्यमान अनूसूची **V** और **VI** को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

अनुसूची–V

(नियम 18 देखिए)

कम्प्यूटर आपरेटर प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्रों का विस्तार

अभ्यर्थी को समस्त प्रश्न पत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अनुज्ञात अंक एवं समय निम्नानुसार होगाः–

प्रश्न पत्र का नाम	अंक	समय
(i) सूचना प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर) में रूझान परीक्षा और सामान्य समझ	45	1 घन्टा
(ii) कम्प्यूटर के मूलभूत सिद्धान्त	45	2 घण्टा

प्रश्न पत्र का विस्तार

प्रश्न पत्र–**I** सूचना प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर) में रूझान परीक्षा और सामान्य समझ

समस्या समाधान, डाटा निर्वचन, डाटा पर्याप्तता, लॉजीक्ल रीजनिंग तथा एनालिटिकल रीजनिंग। भारत एवं राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में के मुख्य–मुख्य विकास।

प्रश्न पत्र–II कम्प्यूटरों के मूलभूत सिद्धान्त

कम्प्यूटरों के विभिन्न संघटकों की परिभाषा और कार्य, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्टोरेज की संकल्पनाऐं। डाटा स्टोरेज मीडिया, इनपुट/आउटपुट युक्तियां तथा इनके कार्य, कम्प्यूटरों का वर्गीकरण तथा संबंधित विशेषताऐं, भारत और राजस्थान में कम्प्यूटर पद्धति के स्पेक्ट्रम, डाटा निरूपण।

प्रोग्रामिंग एड की (संकल्पना) और तकनीक एल्गोरीथम, फ्लोचार्टिंग एवं सूडोकोड। डाटा संरचना की सकल्पना, फाईल संगठन और अनुरक्षण (छॅटाई, तलाशी और विलयन इत्यादि) तथा डाटा प्रक्रमण की विभिन्न

सत्यापित प्रति

(राम ... शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

पद्धतियां, ऑन लाइन तथा बैच प्रक्रमण पद्धतियों के लिए अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्थाएं।

प्रवर्तन पद्धतियां, निम्न और उच्चस्तर और भाषाएं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विशिष्टताएं, और अन्तर पर्सनल कम्प्यूटरों के लक्षण/विशिष्टताएं, जनरल पैकेजों की विशिष्टताएं जैसे पर्सनल कम्प्यूटर पर शब्द प्रक्रमण, डाटाबेस स्प्रेडशीट इत्यादि। पीसी, प्रर्वतन पद्धति और प्रवर्तन, उपयोगिता सॉफ्टवेयर पैकेज, व्यवसाय सॉफ्टवेयर पैकेज, टैक्स्ट मैनीपुलेशन, डाटा विश्लेषण, डाटा बेस प्रबन्ध और डॉस, यूनिक्स एण्ड विन्डोज एन्विरमेण्ट के अन्तर्गत डेस्ट टॉप प्रकाशन।

कम्प्यूटर प्रवर्तन– कम्प्यूटर की विभिन्न परिमाओं का संयोजन और संरूपण, विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर (ओ.एस, उपयोगिता और एप्लीकेशन पैकेज) लगाना/हटाना, लान/वान के अन्तर्गत आवश्यक प्रवर्तन, अनुरक्षण हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का समग्र अनुरक्षण, डाटा प्रक्रमण इकाई के लिए हाउस कीपिंग कार्य।

डाटा एन्ट्री/सत्यापन पद्धतियां, इनपुट डाटा के स्त्रोत, डाटा संशोधन, डाटा मान्यता के लिए इनपुट/आउटपुट नियंत्रण, गलती का पता लगाना, बैक अप और पुनः स्थापना पद्धतियां।

<u>सामान्य मार्गदर्श हेतु टिप्पणः–</u>

1. प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में दी गयी है किन्तु वह सम्पूर्ण नही है।
2. समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हों, अग्रेजी में या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यार्थी को किसी प्रश्न पत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी में या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।
3. यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सहज ही सुपाठ्य न हो तो इसके कारण उन कुल अंकों में से, जो उसे अन्यथा प्रोदभूत होते, कटौती की जायेगी।
4. परीक्षा के समस्त वर्णनात्मक प्रश्न पत्रों में शब्दों की सम्यक मितव्ययिता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावी और सही–सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

अनुसूची –VI

(नियम 18 देखिये)

डाटा एन्ट्री आपरेटर की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण और प्रश्न पत्रों का विस्तार –

प्रश्न पत्र–I और प्रश्न पत्र–II के लिए अनुज्ञात अंक और समय निम्नानुसार होगाः–

प्रश्न पत्र का नाम	अंक	समय
(i) रूझान परीक्षा और कम्प्यूटरों के मूलभूत सिद्धान्त	45	1 घण्टा
(ii) गति परीक्षा	45	30 मिनट

प्रश्न पत्र – I रूझान परीक्षा और कम्प्यूटरों के मूलभूत सिद्धान्त

समस्या समाधान, डाटा निर्वचन, डाटा पर्याप्तता, लॉजीकल रीजनिंग तथा एनालिटिकल रीजनिंग।

कम्प्यूटर के विभिन्न संघटकों की परिभाषा एवं कार्य, प्राथमिक एवं द्वितीयक स्टोरेज की संकल्पनाएं, डाटा स्टोरेज मीडिया, इनपुट/आउटपुट युक्तियॉ तथा इनके कार्य, कम्प्यूटरों का वर्गीकरण तथा संबंधित विशेषताएं।

ऑपरेटिंग सिस्टम की संकल्पना, निम्न और उच्च स्तर की भाषाएं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विशिष्टताएं ओर अंतर।

पर्सनल कम्प्यूटर के लक्षण अथवा विशेषताएं, जनरल पैकेज की विशिष्टताएं जैसे:– पर्सनल कम्प्यूटर पर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में शब्द प्रक्रमण डाटा बेस स्प्रेड–शीट पी.सी. ऑपरेटिंग सिस्टम तथा आपरेशन। अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में डोस एवं विन्डोज एन्विरमेन्ट के अन्तर्गत–टोप प्रकाशन की संकल्पना।

डाटा एन्ट्री/सत्यापन पद्धति, इनपुट डाटा के स्त्रोत, डाटा संशोधन, डाटा मान्यता के लिए इनपुट/आउटपुट नियंत्रण गलती का पता लगाना, बैकअप और पुनः स्थापना पद्धतियां।

प्रशन पत्र –II गति परीक्षा

1. कम्प्यूटर मशीन पर द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) प्रकृति की गति परीक्षा ली जायेगी।
2. प्रश्न–I में सभी अभ्यर्थियों को बैठना होगा। गति परीक्षा में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(प्रवर्गवार) की कुल संख्या की तीन गुनी होगी किन्तु उक्त रेंज में उन सभी अभ्यर्थियों को, जो प्रश्न पत्र–I में ऐसे समान प्रतिशत अंक, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी नियत करें, प्राप्त करतें हैं, गति परीक्षा अर्थात प्रश्न पत्र–II के लिए प्रवेश दिया जायेगा, तथापि किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पत्र – I में उक्त रेंज 49 प्रतिशत, और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में 36 प्रतिशत जिन्हें निकटतम संख्या अर्थात 16 अंक में पूर्णांकित किया जायेगा, से कम नहीं होगा।

सामान्य मार्गदर्शन हेतु टिप्पणः–

1. प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में दी गयी है किन्तु वह सम्पूर्ण नहीं है।
2. समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी में या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न पत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी में या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।
3. यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सहज ही सुपाठ्य न हो तो इसके कारण कुछ अंको में से, जो उसे अन्यथा प्रोद्‌भूत होते, कटौती की जायेगी।
4. परीक्षा के समस्त वर्णानात्मक प्रश्न पत्रों में शब्दों की सम्यक मितव्ययिता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावी और सही–सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा ।''

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह./–
सूरजमल केड़वाल,
उप शासन सचिव।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 5(2)कार्मिक/क–2/91 जयपुर, दिनांकः 25.10.07

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2007 है।

   (ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची II का संशोधन.– राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, से संलग्न अनसूची II में क्रम सं. 3. के सामने स्तम्भ 5 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(i)भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन या इलेक्ट्रोनिक्स में स्नातक।

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पॉलीटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलीटेक्निक डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलैक्ट्रानिकस विभाग, भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन डीओईएसीसी (डोएक) द्वारा संचालित ''ओ'' या उच्चतर लेवल प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स.) / डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र, और

(ii)हिन्दी और अंग्रेजी में कम्प्यूटर पर प्रति घंटा 8000 'की डिप्रेशन' की गति।"

3. अनुसूची VI का संशोधन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची VI के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"अनुसूची – VI

(नियम 18 देखिए)

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण और प्रश्नपत्रों का विस्तार

प्रश्नपत्र-I और प्रश्नपत्र-II के लिये अनुज्ञात अंक और समय इसके नीचे यथा–उल्लिखित है:–

भाग I - लिखित परीक्षाः

अभ्यर्थी को दोनो प्रश्नपत्रों में बैठना होगा।

प्रश्नपत्र का नाम	**अंक**	**समय**
प्रश्नपत्र-I सूचना प्रौद्योगिकी में योग्यता परीक्षण और सामान्य जानकारी	30	1 घंटा
प्रश्नपत्र-II कम्प्यूटर के मूलभूत सिद्धान्त	70	2 घंटे
भाग II गति परीक्षण		
द्विभाषिक (हिन्दी और अंग्रेजी)	120	30 मिनट

प्रश्नपत्र का विस्तार

भाग I - लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र-I सूचना प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर) में योग्यता परीक्षण और सामान्य जानकारी

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजीकल रीजनिंग और एनालीटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास।

सत्यापित प्रति

(राम [signature] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

प्रश्नपत्र-II तकनीकी सिद्धान्त (त.सि.)

समाज में कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर एप्लीकेशन और आर्गेनाईजेशन, कम्प्यूटर के अवयव संघटन, डाटा (डिजिटल बनाम ऐनालोग, डिजिटल नम्बर सिस्टम) आपरेटिंग सिस्टम (विनडोज, यूनिक्स, लाईनक्स), वर्ड प्रोसेसिंग (एमएस–वर्ड), स्प्रेड शीट सोफ्टवेयर (एमएस एक्सेल) का रिप्रजेन्टेशन, सोफ्टवेयर (एमएस पॉवर वर्ड) और आईटी पर दृष्टिपात।

डीबीएमएस (एमएस–एक्सेस), नॉलिज बिजनिस डाटा प्रोसेसिंग, फाईलों के कन्सेप्ट, प्रिंसिपलस और प्रोग्रामिंग टेक्नीकस, विज्युअल फोक्सप्रो और बिजनिस एप्लीकेशनस, आरडीबीएमएस (एसक्यूएल)।

इन्टरनैट प्रौद्योगिकी और प्रोटोकाल, लेन, मेन, वेन का परिचय, टीसीपी/आईपी, वर्ल्ड वाईड वेब ब्राउसर, ई–मेल, फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकाल, टेलीनेट, वेब पब्लिशिंग, एचटीएमएल इन्टरएक्टीविटी टूल्स, मल्टीमिडिया एण्ड ग्राफिक, इन्टरनेट सिक्यूरिटी मैनजमेन्ट कन्सेट (फायरवालस), वॉयस मेल और विडियो कान्फ्रेसिंग का परिचय, ई–कॉमर्स का परिचय, वेबसाईट का सर्जन और रखरखाव।

प्राबलिम सोलविंग के लिये अैलगरिज्म (विधि–विशेष), सी लॅग्वेज का परिचय, सी और सी++ में प्रोग्रामिंग, कन्डिशनल्स और लूप्स अॅरे, फन्क्शन्स।

प्रारंभिक ज्ञानः

विज्युअल बेसिक में आबजेक्ट आरियेन्टेड प्रोग्रामिंग (ओओपी) और जावा प्रोग्रामिंग एलिमेन्टस, इन्टीग्रेटिड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, फोर्म्स के साथ वर्किंग, बैसिक एक्टिव X कन्ट्रोल, वीबी के साथ ग्राफिक्स, मल्टीपल डाक्यूमेन्ट इन्टरफेस, एरॅर हेन्डिलिंग, वीबी के साथ प्रोग्रामिंग की शुरूवात, विडों एपीआई और डीएलएल।

भाग II – गति परीक्षण

द्विभाषिक (हिन्दी और अंग्रेजी) प्रकृति का गति परीक्षण कम्प्यूटर मशीन पर लिया जायेगा।

ऐसे अभ्यर्थियों को, जो लिखित परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करें, गति परीक्षण के लिये अर्हक अंक प्राप्त किया हुआ समक्षा जायेगा। तथापि, अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम अर्हक अंक 36% होंगे।

गति परीक्षण में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों (प्रर्वगवार) का तीन गुना होगी।

सामान्य मार्गदर्शन के लिये टिप्पणः

1. प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविधालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन के लिये इस अनुसूची में बतलाई गई है परन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नही है।

2. समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हों, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगें। किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अशतः हिन्दी या अशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नही किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।
3. यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से इस कारण कुछ अंकों की, जो उसे अन्यथा प्रोद्भूत होते, कटौती कर दी जायेगी।
4. परीक्षा के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नपत्रों में शब्दों की सम्यक् मितव्यवता के साथ की गई सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।''

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह./–
(लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं.एफ.5(2)डीओपी/ए–।।/91 जयपुर, दिनांकः–23.05.2008

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशाधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2008 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **भाग–IV का संशोधन.**– राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के भाग–IV में,–

   (i) विद्यमान नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

   "17. प्रतियोगी परीक्षा.– सेवा में के पदों पर सीधी भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा इन नियमों के अनुसार आयोजित की जायेगी।"

   (ii) जहां कही भी अभिव्यक्तियां "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" या "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," आयी हों, उनके स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग" प्रतिस्थापित की जायेगी।

   (iii) इन नियमों के आंग्ल पाठ में जहां कही भी अभिव्यक्तियां **"them/it"** या **"they/it"** आयी हों, उनके स्थान पर अभिव्यक्तियां क्रमशः **"them"** या **"they"** प्रतिस्थापित की जायेंगी।

   (iv) इन नियमों के आंग्ल पाठ में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति **"their/its"** आयी हो, उसके स्थान पर अभिव्यक्ति **"their"** प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह./–
(डॉ0 लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव।

सत्यापित प्रति

(राम ... शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प.5(2)कार्मिक / क–2 / 91 जयपुर, दिनांकः–28.06.2008

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल,राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियमों और अनुसूचियों में संशोधन.**– राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 और उनसे संलग्न अनुसूचियों में,–

   (i) जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "कम्प्यूटर ऑपरेटर" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "सहायक प्रोग्रामर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

   (ii) जहां कही भी अभिव्यक्ति "डाटाएन्ट्री ऑपरेटर" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "सूचना सहायक" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह./–
(डॉ0 लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–2) विभाग

कमांकः प.5(2)डी.ओ.पी./ए–II/91 जयपुर, दिनांकः 17.11.2009

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीन्स्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (I–संशोधन) नियम, 2009 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2. **नियम 29 का संशोधन**–राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992, जिन्हे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 29 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "सिस्टम एनालिस्ट" के स्थान अभिव्यक्ति "अपर निदेशक" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **अनुसूची–I का संशोधन**.– उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–I में, –

   (i) विद्यमान कम संख्यांक 1 और 2 को कमशः कम संख्यांक 2 और 3 के रूप में पुनर्सख्यांकित किया जायेगा।

   (ii) इस प्रकार पुनर्सख्यांकित कम संख्या 2 की विद्यमान प्रविष्टियों के पूर्व कम संख्यांक 1 पर निम्नलिखित नयी प्रविष्टि अंन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थातः–

1.	अपर निदेशक	–	100%	–	सिस्टम एनालिस्ट	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	–

   (iii) इस प्रकार पुनर्सख्यांकित कम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ सं. 7 में विद्यमान अभिव्यक्ति "स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष की सेवा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "स्तम्भ 6 में

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह./—
(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः एफ.5(2)डीओपी/ए–II/91 जयपुर, दिनांकः 01.04.2011

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .– (i) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2011 है।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 17 का प्रतिस्थापन.**– राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के विद्यमान नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,. अर्थात् :–

"17. **प्रतियोगी परीक्षा के संचालन के लिए प्राधिकारी.**– (1) अनुसूची–I में उल्लिखित पदों और आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले अनुसूची–II में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के अनुसार आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होगी।"

(2) उपर्युक्त उप–नियम (1) में उल्लिखित से भिन्न अनुसूची–II में उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती इन नियमों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होगी।

3. **नियम 19 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 19 में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. **नियम 20 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (2) में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो उसके स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. **नियम 21 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 21 में, जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो उसके स्थान पर

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. **नियम 22 का संशोधन.–** उक्त नियमों के नियम 22 में,

(i) उप–नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप–नियम (1) के आंग्ल पाठ में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति ''them'' आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''them/it'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) उप–नियम (2) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. **नियम 23 का संशोधन.–** उक्त नियमों के नियम 23 में,–

(i) उप–नियम (1) जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप–नियम (1) के आंग्ल पाठ में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति ''them'' या ''they'' आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति क्रमशः ''them/it'' या ''they/it'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) उप–नियम (2) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) उप–नियम (2) के आंग्ल पाठ में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति ''them'' या ''they'' आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति क्रमशः ''them/it'' या ''they/it'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. **नियम 24 का प्रतिस्थापन.–** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''**24. न्यूनतम अर्हक अंक.–** वे अभ्यर्थी, जो लिखित परीक्षा/गति परीक्षण में कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

करेंगे उन्हें ही लिखित परीक्षा/गति परीक्षण, यथास्थिति, में अर्हक अंक अभिप्राप्त किया हुआ समझा जायेगा, किन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा/गति परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 36 प्रतिशत होंगे। आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्वविवेक से प्रत्येक प्रश्न–पत्र में एक तक तथा कुल मिलाकर तीन तक अनुग्रह अंक प्रदान कर सकेगा।''

9. **नियम 25 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 25 में,–

(i) विद्यमान पार्श्व शीर्ष ''आयोग की सिफारिश'' के स्थान पर पार्श्व शीर्ष ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिशें'' प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उप–नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) उप–नियम (1) के आंग्ल पाठ में विद्यमान अभिव्यक्ति ''they'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''they/it'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) उप–नियम (2) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. **नियम 26 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 26 में,–

(i) उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप–नियम (1) के आंग्ल पाठ में विद्यमान अभिव्यक्ति ''their'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''their/its'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) उप–नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति,'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) उप–नियम (3) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति ''आयोग'' आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

"आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।

11. नियम 28 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 28 में,–

(i) उप–नियम (1) में जहां कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप–नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. अनुसूची–I का संशोधन.– उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–I में,–

(i) क्रम संख्या 3 के सामने स्तम्भ संख्या 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार में एम.सी.ए./बी.ई./ बी. टेक. या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार में एम.टेक. डिग्री या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम. बी.ए. (सूचना प्रौद्योगिकी) या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता।

और

(2) किसी सरकारी संगठन/सरकारी उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में सिस्टम डिजाइनिंग, सिस्टम डवलपमेंट, जावा/डॉट नेट/वीबी/

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

जे2ईई में प्रोग्रामिंग में 5 वर्ष का अर्हता पश्चात् कार्य अनुभव :

परन्तु यदि विहित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों तो अनुभव संबंधी शर्त तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नयी क्रम संख्या 4 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

"

4.	प्रोग्रामर	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार में एम. सी.ए /बी.ई./बी. टेक. या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार में एम. टेक. डिग्री या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। या	सहायक प्रोग्रामर	स्तम्भ सं. 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष अनुभव	

सत्यापित प्रति

(राम [signature] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

				भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. (सूचना प्रौद्योगिकी) या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता। और (2) किसी सरकारी संगठन/ सरकारी उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड /प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में जावा/डॉट नेट/वीबी/ जे2ईई में प्रोग्रामिंग में 2 वर्ष का अर्हता पश्चात् कार्य अनुभव : परन्तु यदि विहित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों तो अनुभव संबंधी शर्त एक वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।			

"

13. अनुसूची–II का संशोधन.– उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–II में,–

(i) विद्यमान क्रम संख्या 1 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्या 2 और 3 क्रमशः क्रम सं. 1 और 2 के रूप में पुनःसंख्याकिंत की जायेंगी।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(iii) इस प्रकार पुनःसंख्याकिंत क्रम संख्या 1 के सामने स्तम्भ संख्या 5 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रोनिक्स और संसूचना या सूचना प्रोद्यौगिकी में स्नातक।

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 3 वर्ष का डिप्लोमा।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलेक्ट्रोनिक विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी (डोएक) द्वारा संचालित "ए" लेवल प्रमाण पत्र।

और

(2) किसी सरकारी संगठन/सरकारी उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में कम्प्यूटर प्रचालन में 2 वर्ष का कार्य अनुभव।"

14. अनुसूची–III का संशोधन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची–III के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"अनुसूची III

(नियम 18 देखिए)

एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर के पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण

अभ्यर्थी को समस्त प्रश्नपत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए अंक और अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा :-

प्रश्नपत्र का नाम	अंक	समय
प्रश्नपत्र I	100	2 घण्टे
प्रश्नपत्र II	100	2 घण्टे

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

प्रश्नपत्रों का विस्तार

लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र I

तर्क परीक्षण एवं संख्यात्मक विश्लेषण और सामान्य ज्ञान

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक मामले।

डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम

ई आर डायग्राम, डाटा मॉडल्स – रिलेशनल एण्ड आब्जेक्ट ओरियेन्टेड डाटा बेसैज।

डाटा बेस डिजाइन : कन्सेपच्युल डाटा बेस डिजाइन, नोरमलाइजेशन प्रिमिटिव एण्ड कंपोजिट डाटा टाइप, कन्सेप्ट ऑफ फिजीकल एण्ड लोजिकल डाटा बेस, डाटा एब्सट्रेक्शन एण्ड डाटा इन्डिपिडेन्स, डाटा एग्रीगेशन एण्ड रिलेशनल एलजेब्रा।

एप्लीकेशन यूजिंग डवलपमेंट एस क्यू एल : होस्ट लेंगवेज इन्टरफेस, एम्बैडेड एस क्यू एल प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोसिज़र एण्ड ट्रिगर्स एण्ड व्यूज़, कन्सट्रेन्टस एसर्शन्स।

इन्टरनल ऑफ आरडीबीएमएस : फिजीकल डाटा ऑरगनाईजेशन इन सीक्वेन्शियल, इन्डेक्सड रेन्डम एण्ड हैश्ड फाइल। इन्वरटेड एण्ड मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर, बी ट्रीज़, बी प्लस ट्रीज़, क्वेरी ऑप्टीमाईजेशन, जोइन एल्गोरिथम।

ट्रान्जेक्शन प्रोसेसिंग, कॉन्करेन्सी कन्ट्रोल एण्ड रिकवरी मेनेजमेंट। ट्रान्जेक्शन मॉडल प्रोपर्टिज़ एण्ड स्टेट सीरियलाइजेबिलिटी। लॉक बेस प्रोटोकॉल, टू फेज़ लॉकिंग।

डिफरेंट सर्वर मल्टी यूज़र, मल्टीप्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम एण्ड रिक्वायरमेंट फॉर क्लाइंट इन्टरफेस इन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन एन्वायरमेंट।

डाटा कम्यूनिकेशन एण्ड कम्प्यूटर नेटवर्क्स :

कम्प्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सर्किट स्विचिंग, पैकिट एण्ड मैसेज स्विचिंग, नेटवर्क स्ट्रक्चर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, रिट्रांस्मिशन एलगोरिथम।

मलटिपल एक्सेस एण्ड एलोहा। सीएसएमए/सीडी एण्ड ईथरनेट। हाई स्पीड लेनस् एण्ड टोपोलॉज़िज। ब्रोडकास्ट राउटिंग एण्ड स्पैनिंग ट्रीज़।

टीसीपी/आईपी स्ट्रेक। आईपी नेटवर्क्स एण्ड इन्टरनेट। डीएनएस एण्ड फायरवाल्स। इन्ट्रूजन डिटेक्शन एण्ड प्रिवेन्शन।

सत्यापित प्रति

(राम [signature] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

ट्रांसपोर्ट लेयर एण्ड टीसीपी/आईपी। नेटवर्क मैनेजमेंट एण्ड इन्टरओपरेबिलिटी।

प्रश्नपत्र II

सिस्टम एनालिसिस एण्ड डिजाइन

सिस्टम कन्सेप्ट : डेफिनिशन एण्ड करेक्टरस्टिक्स, एलीमेंटस् एण्ड बाउंडरीज,टाइप आफ सिस्टम डवलपमेंट लाइफसाइकल, रिकग्नीशन ऑफ नीड्स, फिजीबिलीटी स्टडी, प्रोटोटाइपिंग रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट।

सिस्टम प्लानिंग एण्ड टूल लाइक डीएफडी , डाटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्रीज़, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एण्ड डिसीजन टेबल्स।

आईपीओ चार्टस, स्ट्रक्चर्ड वॉकथ्रू, इनपुट आउटपुट फॉम डिजाइन, रिक्वायरमेंट एण्ड क्लासीफिकेशन ऑफ फार्म्स, ले आउट कंसीडरेशन फोर्म कन्ट्रोल, ऑबजेक्ट ऑरियन्टेड डिजाइन कंसेप्टस एण्ड मेथड्स।

सॉफ्टवेयर लाइफ साइकल, सॉफटवेयर इंजिनियरिंग पेराडिग्म्स, सिस्टम एनालिसिस : फिजीबिलीटी स्टडी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कोस्ट बेनीफिट एनालिसिस, प्लानिंग सिस्टम, एनालिसिस टूल्स एण्ड टेक्नीक्स।

सिस्टम डिजाइन : डिजाइन फण्डामेंटल्स, मोड्यूलर डिजाइन, डाटा एण्ड प्रोसिजरल डिजाइन, ऑब्जेक्ट ऑरियेन्टेड डिजाइन।

सिस्टम डवलपमेंट : कोड डोक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम डिजाइन पेराडिग्म्स, एफीशियन्सी कॉन्सीडरेशन।

वेरिफिकेशन, वेलिडेशन एण्ड टेस्टिंग : टेस्टिंग मेथड्स फोरमल प्रोग्राम वेरिफिकेशन, टेस्टिंग स्ट्रेटिजीज।

सॉफटवेयर मेंटेनेन्स : मेन्टेनेन्स करेक्टरस्टिक्स, मेन्टेनेबिलीटी, मेन्टेनेन्स टास्क एण्ड साइड इफेक्टस् ।

सॉफटवेयर प्रोजेक्ट मेनेजमेंट

सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सेप्ट : दी मैनेजमेंट स्पैक्ट्रम, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एण्ड प्रोजेक्ट।

सॉफ्टवेयर प्रोसेस एण्ड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स : सॉफ्टवेयर मेज़रमेंट साइज ऑरियन्टेड मैट्रिक्सेस, फंक्शन ऑरियन्टेड मैट्रिसैस।

सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग : ऑब्जेक्टिव्ज, डिकम्पोजिशन टेक्नीक्स, इम्प्रिकल एस्टीमेशन मॉडल।

रिस्क एनालिसिस एण्ड मैनेजमेंट : रिस्क आईडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, रिस्क रिफाइनमेंट, रिस्क मोनिटरिंग एण्ड मैनेजमेंट।

प्रोजेक्ट शेडयूलिंग एण्ड ट्रेकिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफटवेयर कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण :

(i) प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।

(ii) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।

(iii) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से, जो अन्यथा उसे प्रोदभूत होते, इस कारण कुछ अंकों की कटौती कर दी जायेगी।

(iv) परीक्षा के प्रश्न–पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के होंगे।

(v) परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।''

15. अनुसूची–IV का संशोधन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची–III के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''अनुसूची IV

(नियम 18 देखिए)

प्रोग्रामर के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्य विवरण

1. अभ्यर्थी को समस्त प्रश्नपत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए अंक और अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा :–

प्रश्नपत्र का नाम	अंक	समय
प्रश्नपत्र I	100	2 घण्टे
प्रश्नपत्र II	100	2 घण्टे

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

प्रश्नपत्रों का विस्तार

लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र I

तर्क परीक्षण एवं संख्यात्मक विश्लेषण और सामान्य ज्ञान

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले।

डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम

ई आर डायग्राम, डाटा मॉडल्स – रिलेशनल एण्ड आब्जेक्ट ओरियेन्टेड डाटा बेसैज।

डाटा बेस डिजाइन : कन्सेपच्युल डाटा बेस डिजाइन, नोरमलाईजेशन प्रिमिटिव एण्ड कंपोजिट डाटा टाइप, कन्सेप्ट ऑफ फिजीकल एण्ड लोजिकल डाटा बेस, डाटा एब्सट्रेक्शन एण्ड डाटा इन्डिपेंडेन्स, डाटा एग्रीगेशन एण्ड रिलेशनल एलजेब्रा।

एप्लीकेशन डवलपमेंट यूजिंग एस क्यू एल : होस्ट लेंगवेज इन्टरफेस, एम्बैडेड एस क्यू एल प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोसिज़र एण्ड ट्रिगर्स एण्ड व्यूज़, कन्सट्रेन्टस एसर्शन्स।

इन्टरनल ऑफ आरडीबीएमएस : फिजीकल डाटा ऑरगनाईजेशन इन सीक्वेन्शियल, इन्डेक्सड रेन्डम एण्ड हैश्ड फाइल। इन्वरटेड एण्ड मल्टीलिस्ट स्ट्रक्चर, बी ट्रीज़, बी प्लस ट्रीज़, क्वेरी ऑप्टीमाईजेशन, जोइन एल्गोरिथम।

ट्रान्जेक्शन प्रोसेसिंग, कॉन्करेन्सी कन्ट्रोल एण्ड रिकवरी मेनेजमेंट। ट्रान्जेक्शन मॉडल प्रोपर्टिज़ एण्ड स्टेट सीरियलाइजेबिलिटी। लॉक बेस प्रोटोकॉल, टू फेज़ लॉकिंग।

डाटा कम्यूनिकेशन एण्ड कम्प्यूटर नेटवर्क्स

कम्प्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सर्किट स्विचिंग, पैकिट एण्ड मैसेज स्विचिंग, नेटवर्क स्ट्रक्चर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, रिट्रांस्मिशन एलगोरिथम।

मल्टीपल एक्सेस एण्ड एलोहा। सीएसएमए/सीडी एण्ड ईथरनेट। हाइ स्पीड लेन एण्ड टोपोलॉज़िस। ब्रोडकास्ट राउटिंग एण्ड स्पेनिंग ट्रीज़।

टीसीपी/आईपी स्टेक। आईपी नेटवर्क्स एण्ड इन्टरनेट। डीएनएस एण्ड फायरवाल्स। इन्ट्रूजन डिटेक्शन एण्ड प्रिवेन्शन।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

ट्रांसपोर्ट लेयर एण्ड टीसीपी/आईपी। नेटवर्क मैनेजमेंट एण्ड इन्टरओपरेबिलिटी।

प्रश्नपत्र II

सिस्टम एनालिसिस एण्ड डिजाइन

सिस्टम कन्सेप्ट : डेफिनिशन एण्ड करक्टरस्टिक्स, एलीमेंट एण्ड बाउंडरीज, टाइप आफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफसाइकल, रिकग्नीशन ऑफ नीड्स, फिजिबिलीटी स्टडी, प्रोटोटाइपिंग, रोल आफ सिस्टम एनालिस्ट।

सिस्टम प्लानिंग एण्ड टूल्स लाइक डीएफडी, डाटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्रीज़, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एण्ड डिसीजन टेबल्स।

आईपीओ चार्टस, स्ट्रक्चर्ड वॉकथ्रू, इनपुट आउटपुट फोम डिजाइन, रिक्वायरमेंट एण्ड क्लासिफिकेशन आफ़ फोर्म्स, ले आउट कंसीडरेशन फोर्म कन्ट्रोल, ऑबजेक्ट ओरियन्टेड डिजाइन कंसेप्ट्स एण्ड मेथड्स।

सॉफ्टवेयर लाइफ साइकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेराडिग्म्स।

सिस्टम एनालिसिस : फिजिबिलीटी स्टडी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कोस्ट बेनीफिट एनालिसिस, प्लानिंग सिस्टम, एनालिसिस टूल्स एण्ड टेक्नीक्स।

सिस्टम डिजाइन : डिजाइन फण्डामेंटल्स, मोड्यूलर डिजाइन, डाटा एण्ड प्रोसिजरल डिजाइन, ऑब्जेक्ट ऑरियन्टेड डिजाइन।

सिस्टम डवलपमेंट : कोड डोक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम डिजाइन पेराडिग्म्स, एफीशियन्सी कॉन्सीडरेशन।

वेरिफिकेशन, वेलिडेशन एण्ड टेस्टिंग : टेस्टिंग मेथड्स, फोरमल प्रोग्राम वेरिफिकेशन, टेस्टिंग स्ट्रेटिजीज।

सॉफ्टवेयर मेन्टेनेन्स : मेन्टेनेन्स करक्टरस्टिक्स, मेन्टेनेबलिटी, मेन्टेनेन्स टास्क एण्ड साइड इफेक्ट्स।

प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स :

इन्ट्रोडक्शनः इन्टरनेट, जावा एज ए टूल फॉर इन्टरनेट एप्लीकेशन्स, बाइट कोड एण्ड इट्स एडवांटेजिज।

आब्जेक्ट ऑरियन्टेड प्रोग्रामिंग एण्ड डिजाइनः रिव्यू ऑफ एब्सट्रक्शन, आब्जेक्ट्स एण्ड अदर बेसिक्स, एनकेप्स्यूलेशन, इन्फोरमेशन हाइडिंग, मेथड, सिगनेचर, क्लासेज एण्ड इन्सटान्सेज, पोलीमोरफिज्म, इन्हेरिटेन्स, एक्सेप्शन्स एण्ड ऐक्सेप्शन हैण्डलिंग विद रेफरेन्स टू आब्जेक्ट माडलिंग, कपलिग एण्ड कोहेजन इन आब्जेक्ट ओरियन्टेड सॉफ्टवेयर। आब्जेक्ट ओरियन्टेड डिजाइन– प्रोसेस, एक्सप्लोरेशन एण्ड एनालेसिस।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

जावा प्रोग्रामिंग बेसिक्स : वेरिएबिल्स एण्ड एसाइनमेन्ट्स। इनपुट एण्ड आउटपुट, डाटा टाइप्स एण्ड एक्सप्रेशन्स, फ्लो ऑफ कन्ट्रोल, लोकल वेरिएबिल्स, ओवरलोडिंग पेरामीटर पासिंग, दिस पाइन्टर, जावा आब्जेक्ट ओरियन्टेड कन्सेप्ट्सः यूज आफ फाइल फार आई/ओ, फारमेटिंग आउटपुट विद स्ट्रीम फंकशन्स, केरेक्टर आई/ओ, इन्हेरिटेन्स, पब्लिक एण्ड प्राइवेट मेम्बर्स, कन्सट्रक्टर्स फार इनिशियलाइजेशन, डिराइव्ड क्लासेज, फ्लो आफ कन्ट्रोल एरेज– प्रोग्रामिंग विद एरेज, एरेज आफ क्लासेज, एरेज एज फंक्शन आरग्यूमेन्ट्स, स्ट्रिंग्स, मल्टीडाइमेन्शनल एरेज, एरेज आफ स्टिंग्स, वेक्टर्स, बेस क्लासेज।

इन्ट्रोडक्शन टू जेएसपी., आरएमआई, जावा एपलेट्स एण्ड सर्वलेट्स ।

इन्ट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क एण्ड विजुअल प्रोग्रामिंग इन्टरफेस ।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण :

(i) प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।

(ii) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।

(iii) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से, जो अन्यथा उसे प्रोदभूत होते, इस कारण कुछ अंकों की कटौती कर दी जायेगी।

(iv) परीक्षा के प्रश्न–पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के होंगे।

(v) परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।''

16. अनुसूची–V का संशोधन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची–V के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

सत्यापित प्रति

(राम ... शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

"अनुसूची V

(नियम 18 देखिए)

सहायक प्रोग्रामर

के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु पाठ्य विवरण

1. अभ्यर्थी को समस्त प्रश्नपत्रों में बैठना होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए अंक और अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा :–

प्रश्नपत्र का नाम	अंक	समय
(i) योग्यता परीक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी	100	2 घंटे
(ii) सूचना प्रौद्योगिकी कॉन्सेप्ट्स	100	2 घंटे

प्रश्नपत्रों का विस्तार

लिखित परीक्षा

प्रश्नपत्र I योग्यता परीक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर) में सामान्य जानकारी

प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्सी, लॉजिकल रीजनिंग एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास।

प्रश्नपत्र II सूचना प्रौद्योगिकी कॉन्सेप्ट

ओवरव्यू ऑफ द कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर एप्लीकेशन एण्ड ऑरगनाइजेशन, एनाटोमी ऑफ ए कम्प्यूटर, रिप्रजेन्टेशन ऑफ डाटा (डिजिटल वर्सेज एनालॉग, डिजिटल नम्बर सिस्टम) ऑपरेटिंग सिस्टम (विन्डोज़, यूनिक्स, लाईनेक्स), वर्ड प्रोसेसिंग (एमएस–वर्ड), स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर (एमएस – एक्सल), प्रजेन्टेशन सॉफ्टवेयर (एमएस पॉवर पोइन्ट) एण्ड आई टी इन सोसाइटी)।

इन्ट्रोडक्शन/बेसिक्स ऑफ आल ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स एण्ड शैल प्रोग्रामिंग

ऑपरेटिंग सिस्टम कन्सेप्टस, फाइल सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल एट्रीब्यूट्स, VI एडीटर्स।

सत्यापित प्रति

(राम च... शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

डीबीएमएस (एमएस–एक्सेस), नालेज ऑफ बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, कन्सेप्ट ऑफ फाइल्स, प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रोग्रामिंग टेकनीक्स, विजुअल फोक्सप्रो एण्ड बिजनेस एप्लीकेशन्स, आरडीबीएमएस (एसक्यूएल), डाटा बेस आरकीटेक्चर एण्ड मोडलिंग, एन्टिटी रिलेशनशिप मोडल, रिलेशनल मोडल, बैकअप एण्ड रिकवरी।

इन्ट्रोडक्शन ऑफ इन्टरनेट टेक्नोलोजी एण्ड प्रोटोकॉल, लेन, मेन, वेन, इन्ट्रोडक्शन टू टीसीपी/आईपी, वर्ड वाइड वेब ब्राउज़र्स, ई–मेल, फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकाल, टेलनेट, वेब पब्लिशिंग, एचटीएमएल इन्टरएक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एण्ड ग्राफिक्स, इन्टरनेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट कन्सेप्टस (फायरवाल्स), वॉइस मेल एण्ड विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग, इन्ट्रोडक्शन टू ई–कॉमर्स, क्रियेटिंग एण्ड मेन्टेनिंग वेबसाइट्स।

एलगोरिथम फॉर प्रोब्लम सोलविंग, इन्ट्रोडक्शन टू सी लेंगवेज़, प्रोग्रामिंग इन सी एण्ड सी + +, कन्डिशनल्स एण्ड लूप्स एरेस, फंक्शंस।

इन्ट्रोडक्शन, सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम डवपलमेंट साइकल, सिस्टम प्लानिंग, मोड्यूलर एण्ड स्ट्रक्चर्ड डिजाइन, सिस्टम डिजाइन एण्ड मोडलिंग, एडमिनिस्ट्रिंग फाइल सिस्टम्स।

एलीमेंन्ट्री नॉलेज

आब्जेक्ट ओरियन्टेड प्रोग्रामिंग (ओओपी) इन विजुअल बेसिक एण्ड जावा प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स, इन्टीग्रेटेड डवलपमेंट एन्वायरमेंट, वर्किंग विद फोर्मस, बेसिक एक्टिव एक्स कन्ट्रोल्स, ग्राफिक्स विद वीबी, मल्टीपल डोक्यूमेंट इन्टरफेस, एरर हैंडलिंग, इनिशियल्स ऑफ प्रोग्रामिंग विद वीबी, विन्डोज़ एपीआई एण्ड डीएलएल, कम्प्यूटर आरकिटेक्चर, बेसिक कम्पोनेंट ऑरगनाईजेशन, इन्ट्रोडक्शन्स एण्ड एप्लीकेशन्स ऑफ कम्प्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स डिवाइस, थ्री डी ग्राफिक्स, एनिमेशन।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण :

(i) प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन हेतु इस अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु यह सम्पूर्ण रूप में नहीं है।

(ii) समस्त प्रश्नपत्रों के उत्तर, जब तक विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित न हो, अंग्रेजी या हिन्दी में दिये जायेंगे, किन्तु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रश्नपत्र का उत्तर अंशतः हिन्दी या अंशतः अंग्रेजी में देने के लिए अनुज्ञात नहीं

सत्यापित प्रति

(राम ... शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

किया जायेगा। जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।

(iii) यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से, जो अन्यथा उसे प्रोदभूत होते, इस कारण कुछ अंकों की कटौती कर दी जायेगी।

(iv) परीक्षा के प्रश्न–पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के होंगे।

(v) परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।''

17. **अनुसूची–VI का संशोधन.–** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–VI के विद्यमान ''सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण'' में,–

(i) विद्यमान टिप्पण 4 को टिप्पण 5 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा।

(ii) विद्यमान टिप्पण 3 के पश्चात् और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 5 के पूर्व निम्नलिखित नया टिप्पण 4 अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''4. परीक्षा के प्रश्न–पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के होंगे।''

(iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''परीक्षा के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नपत्रों'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह./–
(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

सत्यापित प्रति

(राम ... शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प.5(2)कार्मिक/क–2/91 जयपुर, दिनांकः26.09.2011

शुद्धि पत्र

विषयः– राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.04.2011 जो दिनांक 01.04.2011 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग–4 (ग) (1) में जी. एस. आर. 5 के अधीन पृष्ठ संख्या 3 (1) से 3 (16) पर प्रकाशित हुई है, में निम्न शुद्धियां की जायेगीः–

1 क्रम संख्या 2 में शीर्षक "नियम 17 का प्रतिस्थापन" पृष्ठ 3(1) के अन्तर्गत–

(i) नियम 17 के उप नियम (1) की चौथी पंक्ति में आई अभिव्यक्ति होगी।" के स्थान पर अभिव्यक्ति होगी। पढ़ी जाये।

(ii) नियम 17 के उप नियम (2) की तीसरी पंक्ति में आई अभिव्यक्ति होगी। के स्थान पर अभिव्यक्ति होगी।" पढ़ी जावे।

2. क्रम संख्या–12 में शीर्षक "अनुसूची–I का संशोधन" पृष्ठ 3(4) के अन्तर्गत–

(i) क्लॉज (i) के पैरा (1) में आई अभिव्यक्ति "सूचना प्रोद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रोनिक्स और संचार में एम.सी.ए./बी.ई./" के स्थान पर "एम.सी.ए. अथवा सूचना प्रोद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रोनिक्स और संचार में बी.ई./" पढ़ी जावे।

(ii) क्लॉज (i) के पैरा (2) की तीसरी पंक्ति में आया शब्द "डिजाइनिंग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रबन्धन, सिस्टम डिजाइनिंग," पढ़ी जावे।

(iii) क्लॉज (ii) पृष्ठ–3 (5) में आई अनुसूची के कॉलम 5 के प्रथम पैरा में आई अभिव्यक्ति "सूचना प्रोद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रोनिक्स और संचार में एम.सी.ए. /बी.ई./बी.टेक. के स्थान पर अभिव्यक्ति "एम.सी.ए. अथवा सूचना प्रोद्यौगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रोनिक्स और संचार में बी.ई./बी.टेक./एम.एससी. पढ़ी जाये।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

इसी उक्त अनुसूची के कॉलम 7 में आई अभिव्यक्ति "5 वर्ष अनुभव" के स्थान पर अभिव्यक्ति "5 वर्ष का अनुभव" पढ़ी जावे।

3. क्रम संख्या 13 में शीर्षक "अनुसूची II" के संशोधन" पृष्ठ 3(6) के अन्तर्गत क्लॉज (iii) के पैरा (1) में आई अभिव्यक्ति "संसूचना या सूचना" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संचार या सूचना" पढ़ी जावें।

4. क्रम संख्या 14 शीर्षक "अनुसूची III का संशोधन" के अन्तर्गत प्रश्न पत्र II शीर्षक "साफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट" [पृष्ठ 3(9)] के अन्तर्गत 7वीं एवं 8वीं पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "रिस्क आईडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन," के स्थान पर अभिव्यक्ति "रिस्क आईडेंटिफिकेशन प्रोजेक्शन," पढी जावें।

5. क्रं.सं. 15 शीर्षक "अनुसूची–IV का संशोधन" के अन्तर्गत [पृष्ठ 3(10)]-

    (i) "अनुसूची–IV का संशोधन" के अन्तर्गत दूसरी पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "अनुसूची III" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुसूची–IV" पढी जावें।
    (ii) "अनुसूची–IV" के प्रश्न पत्र–I के अन्तर्गत [पृष्ठ 3(11)] तीसरी पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "लोजिकल डाटा बेस," के स्थान पर अभिव्यक्ति "लोजिकल डाटा बेसेज," पढी जावें। एवं 9वीं पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "हैश्ड फाइल" के स्थान पर अभिव्यक्ति "हैश्ड फाइल्स" पढी जावें।

6. क्रम संख्या–16 शीर्षक "अनुसूची–V का संशोधन" के अन्तर्गत प्रश्न पत्र II, सूचना प्रौद्यौगिकी कॉन्सेप्ट [पृष्ठ 3(14)] शीर्षक के अन्तर्गत 9वीं पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "शैल प्रोग्रामिंग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शैल प्रोग्रामिंग," पढी जावे एवं 26वीं पंक्ति में आई अभिव्यक्ति "कन्डिशनल्स एण्ड लूप्स एरेस," के स्थान पर अभिव्यक्ति "कन्डिशन्स एण्ड लूप्स एरेस," पढी जावें।

आज्ञा से,

ह./–
(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ 5(2) डीओपी/ए–II/91 जयपुर, दिनांकः 01.12.2011

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011 है।
(2) ये तुरन्त प्रभाव से या संबंधित संशोधनों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित तारीख से प्रवृत होंगें।

2. **नियम 2 का संशोधन.**– राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में,–

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''निदेशक, कम्प्यूटर'', के स्थान पर अभिव्यक्ति ''आयुक्त, सूचना प्रौद्यौगिकी और संचार'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''आयुक्त'' से आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

3. **नियम 11 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 11 में,–

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति, ''सहायक प्रोग्रामर'' हटायी जायेगी।

4. **नियम 18 का प्रतिस्थापन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

"**18. परीक्षा का पाठ्य विवरण.–** एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), प्रोग्रामर और सूचना सहायक के पद पर सीधी भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण क्रमशः अनुसूची III, IV और V में यथाविनिर्दिष्टानुसार होगा।"

5. **नियम 29 का संशोधनः–** उक्त नियमों के नियम 29 में,–

(i) खण्ड (क) के उप–खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "संबंधित प्रशासनिक विभाग का शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संबंधित प्रशासनिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) खण्ड (क) के उप–खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उप सचिव–कम–निदेशक, कम्प्यूटर्स" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी और संचार" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) खण्ड (ख) के उप–खण्ड (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उप सचिव–कम–निदेशक, कम्प्यूटर्स" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी और संचार" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) खण्ड (ख) के उप–खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "संबंधित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संबंधित प्रशासनिक विभाग में प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(v) खण्ड (ख) के उप–खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "अपर निदेशक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तकनीकी निदेशक" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. अनुसूची–I. का संशोधनः– उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–I में,–

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1 से 4 को क्रम संख्यांक 2 से 5 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा;

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित विद्यमान क्रम संख्यांक 2 के पूर्व, निम्नलिखित नयी क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगीं, अर्थातः–

"

1	तकनीकी निदेशक	–	100 प्रतिशत	–	अपर निदेशक	स्तम्भ संख्या 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव और सेवा के सदस्य के रूप में 25 वर्ष की सेवा या एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद पर सेवा के सदस्य के रूप में 20 वर्ष की सेवा या सेवा के ऐसे सदस्यों ने, जो एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के रूप में सीधे चयनित हुए है, 20 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो।	

(iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "सिस्टम एनालिस्ट" जहां कहीं भी आयी हो के स्थान पर अभिव्यक्ति "सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) विद्यमान अभिव्यक्ति "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर" जहां कहीं भी आयी हो के स्थान पर अभिव्यक्ति "एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(v) उपर्युक्त रूप में पुनः संख्यांकित क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "60%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "50%" प्रतिस्थापित की जायेगी और इसे 01.04.2011 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा।

(vi) उपर्युक्त रूप में पुनः संख्यांकित क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "40%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "50%" प्रतिस्थापित की जायेगी और इसे 01.04.2011 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा।

सत्यापित प्रति

(राम चन्द्र शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

7. **अनुसूची–II का संशोधन.–** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–II में,–

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "50%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "–" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "50%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "100%" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(iii) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति के स्थान पर अभिव्यक्ति "–" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(iv) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रोनिक्स या इलेक्ट्रोनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य।

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पोलीटेक्नीक संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पोलीटेक्नीक डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य।

या

सत्यापित प्रति

(राम ... शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित ''ओ'' या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र,

और

(ii) कम्प्यूटर पर हिन्दी और अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन (Key depression)प्रति धंटा की गति।

8. **अनुसूची–III का संशोधन.**– उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–III में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. **अनुसूची–V का हटाया जाना.**–उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची– V हटायी जायेगी।

10. **अनुसूची– VI का संशोधन.**– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची– VI को अनुसूची– V के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा।

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

ह./–
(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

सत्यापित प्रति

(राम ... शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–II) विभाग

सं. एफ. 5(2) डीओपी/ए–II/91 जयपुर, दिनांकः 10.01.2013

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2013 है।
(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 11 का संशोधन.–** राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 11, परन्तुकों को छोडकर, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः–

"**11. आयु.–** निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती के किसी अभ्यर्थी को आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात् आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को–

(i) एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ और 37 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त किया हुआ होना चाहिए ;

(ii) प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक के लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ और 35 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त किया हुआ होना चाहिए :"

3. **नियम 24 का प्रतिस्थापन.–** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"24. न्यूनतम अर्हक अंक.– ऐसे अभ्यर्थियों को, जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करें, लिखित परीक्षा में अर्हक अंक अभिप्राप्त किया हुआ समझा जायेगा, किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में

सत्यापित प्रति

(राम ... शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

न्यूनतम अर्हक अंक 36 प्रतिशत होंगे। आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्वविवेक से कुल मिलाकर तीन तक अनुग्रह अंक प्रदान कर सकेगा।"

4. **अनुसूची–I में संशोधन.–** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–I (राज्य सेवा के पद) में.–

(i) क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 की विद्यमान मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(2) विधिक संस्था जैसे कि सरकारी संगठनों/सरकारी उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों आदि में 3 वर्ष का अर्हता पश्चात् सुसंगत कार्य अनुभव।"

(ii) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:

"(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार में बी.ई./बी.टेक./एम.एससी. या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार में एम.टेक. डिग्री या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. (सूचना प्रौद्योगिकी) या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समतुल्य कोई अर्हता।"

5. **अनुसूची II में संशोधन.–** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची–II (अधीनस्थ सेवा के पद) में,–

(i) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 की मद (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति "डीओईएसीसी (डोएक)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान(रा.इ.सू.प्रौ.सं)/डीओईएसीसी (डोएक)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

(ii) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 की विद्यमान मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(ii) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति।"

6. **अनुसूची–V का प्रतिस्थापन.**– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची–V के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"अनुसूची– V

(नियम 18 देखिए)

सूचना सहायक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्य विवरण और विस्तार

परीक्षा दो भागों में होगी। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के भाग–I में अर्हित होते है परीक्षा के भाग– II में उपस्थित होने के लिए पात्र होगें। परीक्षा के भाग– I के लिए अनुज्ञात अंक और समय तथा परीक्षा के भाग– II के लिए अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगा:–

भाग I – लिखित परीक्षा	**अधिकतम अंक**	**समय**
योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त	100	3 घण्टे

भाग II – अर्हता टंकण गति परीक्षण :	**समय**
(क) हिन्दी	15 मिनट
(ख) अंग्रेजी	15 मिनट

टिप्पण :

अर्हता टंकण गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे और योग्यता सूची परीक्षा के भाग–I में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जायेगी किन्तु केवल वे अभ्यर्थी जो टंकण गति परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे।

सत्यापित प्रति

(राम ... शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

भाग–I – लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरण

योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त

(क) प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्शी, लाजिकल रीजनिंग, मेन्टल एबिलिटि एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास।

(ख) इनपुट–आउटपुट डिवाइसिस, पाएन्टिंग डिवाइसिस और स्केनर सहित ओवरव्यू ऑफ द कम्प्यूटर सिस्टम।

(ग) इन्ट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग (एमएस–वर्ड), स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर (एमएस–एक्सल), प्रजेन्टेशन साफ्टवेयर (एमएस–पावर पोइन्ट), डीबीएमएस साफ्टवेयर (एमएस–एक्सेस)।

(घ) रिप्रजेन्टेशन ऑफ डाटा (डिजिटल वर्सेज एनालॉग, नम्बर सिस्टम–डेसिमल, बाइनरी एण्ड हेक्साडेसिमल), इन्ट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग, कान्सेप्ट्स ऑफ फाईल्स एण्ड इट्स टाईप्स।

(ङ) इन्ट्रोडक्शन ऑफ इन्टरनेट टेक्नोलोजी एण्ड प्रोटोकॉल, लेन, मेन, वेन, सर्च सर्विसिस/इन्जिंस/इन्ट्रोडक्शन टू ऑनलाईन एण्ड ऑफलाईन मेसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वैब ब्राउजर्स, वेब पब्लिशिंग, क्रियेशन एण्ड मेन्टेनन्स ऑफ वेबसाईट्स, एचटीएमएल इन्टरएक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एण्ड ग्राफिक्स, वॉईस मेल एण्ड विडियो कान्फ्रेन्सिंग, इन्ट्रोडक्शन टू ई–कॉमर्स।

(च) सिक्यूरिटी : प्रोटेक्टिंग कम्प्यूटर सिस्टम फ्रोम वाइरसैस एण्ड मेंलिशस अटैक्स, इन्ट्रोडक्शन टू फायरवाल्स एण्ड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एण्ड रिस्टोरिंग डाटा।

(छ) एलगोरिथम फॉर प्रोब्लम सोलविंग, इन्ट्रोडक्शन टू सी लेंगवेज, प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रोग्रामिंग टेक्नीक्स, इन्ट्रोडक्शन ऑफ आबजेक्ट आरिएन्टेड़ प्रोग्रामिंग (ऊप्स) कान्सेप्ट्स, इन्ट्रोडक्शन टू "इन्टिग्रेटिड डवलपमेंट इन्वायरमेंट" एण्ड इट्स एडवान्टेजिस।

भाग–II – टंकण गति परीक्षण

केवल उन अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर मशीन पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में गति परीक्षण लिया जायेगा जो परीक्षा के भाग–I में अर्हित हुए है। परीक्षा के भाग–II (अर्हता टंकण गति परीक्षण) में प्रविष्ट किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों (प्रवर्गवार) की लगभग तीन गुना होगी।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण :

1. प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस

सत्यापित प्रति

(राम ... शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु इसका सर्वतःपूर्ण होना आशयित नहीं है।

2. यदि किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख सुपाठ्य न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंको में इस कारण कुछ अंकों की, जो उसे अन्यथा प्रोदभूत होते, कटौती कर दी जायेगी।

3. परीक्षा के प्रश्पपत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार या दोनों प्रकार के हो सकेंगे।

4. परीक्षा के प्रश्नपत्र (पत्रों) के समस्त वर्णनात्मक प्रश्नों में शब्दों की समुचित मितव्ययता के साथ की गयी सुव्यवस्थित, प्रभावशाली तथा सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जायेगा।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह./–
(दिनेश कुमार यादव)
संयुक्त शासन सचिव

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 5(2)कार्मिक/क–2/91पार्ट   जयपुर, दिनांकः–15.04.2013

शुद्वि पत्र

विषयः– राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992

इस विभाग की समसंख्यक हिन्दी अनुवाद की अधिसूचना दिनांक 10.01.2013 जो दिनांक 11.01.2013 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग–4 (ग) (1) में जी. एस. आर. 88 के अधीन पृष्ठ संख्या 145 (1) से 145 (5) पर प्रकाशित हुई है, में क्रम संख्या–4 के शीर्षक "अनुसूची–I में संशोधन" के अन्तर्गत क्लॉज (ii) के पैरा (1) (पृष्ठ 145 (2)) में आई अभिव्यक्ति "बी.ई./बी.टेक./एम.एस.सी." एवं "या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त" के बीच अभिव्यक्ति "या एम.सी.ए." पढी जावें।

आज्ञा से,

ह./–
(दिनेश कुमार यादव)
संयुक्त शासन सचिव

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं.एफ 5(2)डीओपी/ए–II/91 पार्ट जयपुर, दिनांक : 01.07.2015

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये 23.09.2014 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. **नियम 35 का संशोधन.**– राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के नियम 35 के उप–नियम (1) के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् और विद्यमान उप–नियम (2) के पूर्व निम्नलिखित नया परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति, जिसकी एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद, जो राज्य सेवा के प्रवेश पद अर्थात् प्रोग्रामर से अगला उच्चतर पद है, पर सीधी भर्ती की गयी है और जो इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक और वृत्तिक अर्हता के साथ–साथ अनुभव की शर्तें रखता है, एक वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में रखा जायेगा।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह./–
(ओ.पी.गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 5(2)कार्मिक/क–2 /91 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 17.12.2015

शुद्धि पत्र

विषयः– राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 में संशोधन के संबंध में।

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5.12.1992 जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 5.1.93 भाग 4(ग) उपखण्ड (I) जी. एस. आर 41 के अधीन पृष्ठ– 103(1) से 103(33) पर हिन्दी भाषा में प्रकाशित हुई है, में निम्नलिखित शुद्धियाँ की जावेगी –

1. नियम 8 के अन्तर्गतः–

   (i) क्लॉज (क) में आया शब्द ''नगरिक'' के स्थान पर शब्द ''नागरिक'' पढ़ा जावे।

   (ii) क्लॉज (ड) में दूसरी पंक्ति में शब्दों ''पाकिस्तान'' और ''श्री लंका'' के बीच आया शब्द ''बर्मा'' के स्थान पर शब्द ''म्यांमार'' पढा जावे।

   (iii) क्लॉज (ड) में नीचे आये पैरे की चौथी पंक्ति में शब्दों ''भर्ती'' और ''द्वारा'' के बीच आया शब्द ''प्राधकारी'' के स्थान पर शब्द ''प्राधिकारी'' पढा जावे।

2. नियम–24, में दूसरी पंक्ति में अंक ''40%'' और शब्द ''प्राप्त'' के बीच शब्द ''अंक'' पढा जावे।
3. नियम–32, में पाँचवी पंक्ति में अंतिम शब्द ''जायगी'' के स्थान पर शब्द ''जायेगी'' पढा जावे।
4. नियम–34, के परन्तुक (iv) की प्रथम पंक्ति में शब्दों ''जो'' और ''एवं'' के बीच आया शब्द ''पुनर्विलोन'' के स्थान पर शब्द ''पुनर्विलोकन'' पढ़ा जावे।
5. नियम–35, के उप नियम (1) के नीच आया परन्तुक (ii) में शब्दों ''जिसमें'' और ''व्यक्ति'' के बीच आया शब्द ''काई'' के स्थान पर शब्द ''कोई'' पढा जावे।

सत्यापित प्रति

(राम चरण शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

6. नियम–37, के उप नियम (1) की छठी पंक्ति में शब्दों ''सकेगा या'' के पश्चात् आया शब्द ''असकी'' के स्थान पर शब्द ''उसकी'' पढ़ा जावे।
7. नियम–41, की क्रम संख्या 3 में अया शब्द 'युक्तियक्तकरण' के स्थान पर शब्द 'युक्तियुक्तकरण' पढा जावे।

आज्ञा से

ह./–
(ओ. पी. गुप्ता)
शासन संयुक्त सचिव

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 5(2)कार्मिक/क–2/91 पार्ट जयपुर, दिनांक : 6.6.2016

शुद्धि पत्र

विषयः– राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 में संशोधन के संबंध में।

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5.12.1992 जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 5.1.93 भाग 4(ग) उपखण्ड् (I) जी.एस.आर 41 के अधीन पृष्ठ –103(I) से 103(33) पर हिन्दी भाषा में प्रकाशित हुई है, में नियम–23 के उप नियम–2 में दूसरी पंक्ति में शब्द ''प्राधिकारी'' एवं शब्द ''का'' के मध्य प्रयुक्त शब्द ''यथा स्थति'' को शब्द ''यथास्थिति पढा जावे।

आज्ञा से,

ह./–
(ओ. पी. गुप्ता)
शासन संयुक्त सचिव

सत्यापित प्रति

(राम [illegible] शर्मा)
R.A.S.
विशेषाधिकारी
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर